संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947

(संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं0 28, 1947 ई0)

UNITED PROVINCES INDUSTRIAL DISPUTE ACT, 1947

(U.P. Act No. XXVIII of 1947)

संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947[1]

[संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं0 28 सन्, 1947 ई०]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 25, 1950

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 23, 1953

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 01, 1957

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 23, 1957

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 1966

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 34, 1978

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1983

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1991

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 2000

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 2007

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, 2021

द्वारा संशोधित

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत

[संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली तथा लेजिस्लेटिव कौन्सिल ने क्रमशः 10 नवम्बर, सन् 1947 ई० तथा 17 नवम्बर, सन् 1947 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।]

[भारतीय (अस्थायी विधान) आदेश, सन् 1947 ई० द्वारा संशोधन करके अवस्थानुकूल परिवर्तित भारत शासन–विधान सन् 1935 ई० की धारा 76 के अन्तर्गत गवर्नर जनरल ने तारीख 21 दिसम्बर, सन् 1947 ई० को स्वीकृति प्रदान की और संयुक्त प्रान्तीय शासकीय गजट मे तरीख 10 जनवरी, सन् 1948 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

प्रस्तावना

हड़तालों और द्वारावरोधों (लाकआउट्स) को रोकने के लिये अधिकार प्राप्त करने, औद्योगिक झगड़ों का निपटारा करने तथा अन्य संबंधित विषयों की व्यवस्था करने के लिये,

एक

ऐक्ट

क्योंकि यह आवश्यक है कि हड़तालों और द्वारावरोधों को रोकने के लिये अधिकार प्राप्त करने, औद्योगिक झगड़ों का निपटारा करने तथा अन्य संबंधित विषयों की व्यवस्था की जाय ;

इसलिये निम्नलिखित कानून बनाया जाता है ;

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) इस ऐक्ट का नाम संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, सन् 1947 ई० होगा ।

---

1. उद्देश्य और कारणो के विवरण के लिये दिनांक 27 अक्टूबर, 1947 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

(2) इसका [1][विस्तार] समस्त [2][उत्तर प्रदेश] में होगा ।

(3) यह उस [3][तारीख] से प्रयोग मे आयेगा जो [4][राज्य सरकार] सरकारी गजट में विज्ञप्ति देकर इस संबंध मे नियत करे ।

परिभाषायें

[5]**[2–** (क) "शिशिक्षु" (Apprentice) से तात्पर्य कोई व्यक्ति, जो किसी उद्योग में प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिये, तदर्थ निमित और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार नियुक्त हो ;

(ख) "औसत वेतन" से तात्पर्य है मजदूर को देय (payable) मजदूरी का औसत––

(1) ऐसे मजदूर की दशा में, जिसे मासिक वेतन दिया जाता हो, तीन पूरे कलेंडर मासों में ;

(2) ऐसे मजदूर की दशा में, जिसे साप्ताहिक वेतन दिया जाता हो, चार पूरे सप्ताहों में ;

(3) ऐसे मजदूर की दशा में, जिसे दैनिक वेतन दिया जाता हो, बारह पूरे कार्य–दिवसों में ;

जो उस दिनांक से पहले पड़ते हों, जिस पर औसत वेतन देय होता हो, यदि मजदूर ने, यथास्थिति, तीन पूरे कलेंडर मासों या चार पूरे सप्ताहों या बारह पूरे कार्य–दिवसों में कार्य किया हो तो और जहाँ ऐसा हिसाब नही लगाया जा सकता हो तो औसत का हिसाब उस मजदूरी के औसत से लगाया जायगा जो किसी मजदूर को उस अवधि के लिये देय हो जिसमें उसने वास्तव में कार्य किया हो ;

1– इस अधिनियम का विस्तार इस सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित क्षेत्रों में, स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियम या आर्डर के अधीन किया गया है और ऐसे क्षेत्रों में, स्तम्भ 3 में उल्लिखित विज्ञप्ति यदि, कोई हो, के अधीन उस दिनांक से जो प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के सामने स्तम्भ 4 में उल्लिखित है, प्रवृत्त किया गया है।

क्षेत्र	अधिनियम अथवा आदेश जिनके अन्तर्गत प्रसारित किये गये	विज्ञप्ति यदि कोई है, जिनके अंतर्गत प्रभावी किया गया	तिथि, जिससे प्रभावी किया गया
1	2	3	4
1– जिला रामपुर	रामपुर (एप्लीकेशन आफ लाज) ऐक्ट, 1950	– –	30–12–49
2– जिला बनारस	बनारस (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1949	सं0 3262(1)/सत्रह, दिनांक 30 नवम्बर, 1949	30–11–49
3– जिला टेहरी गढ़वाल	टेहरी–गढ़वाल (एप्लीकेशन आफ लाज आर्डर, 1949	सं0 3262(2)/सत्रह, दिनांक 30 नवम्बर, 1949	30–11–49

2– एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविंसेज) के लिये प्रतिस्थापित ।

3– यह अधिनियम 1 फरवरी, 1948 को प्रभावी हुआ 1 विज्ञप्ति सं० 495 (एस० टी०) 18, दिनांक 19 जनवरी, 1948, भाग 1, पृ० 71 देखियें ।

4– ऐडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविशियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।

5– उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ग) "पंच निर्णय" (Award) से तात्पर्य है किसी औद्योगिक झगड़े या उससे संबद्ध किसी प्रश्न का किसी श्रम न्यायालय (Labour Court) या न्यायाधिकरण (Tribunal) द्वारा अन्तरिम (Interim) या अन्तिम अवधारण (determination) और इसके अन्तर्गत धारा 5–ख के अधीन किया गया मध्यस्थ निर्णय (Arbitration award) भी है ;

(घ) "बोर्ड" से तात्पर्य है धारा 3 के खंड (घ) के अधीन संघटित समझौता–बोर्ड (Conciliation Board) ;

(ङ) "केन्द्रीय सरकार" से तात्पर्य है जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1897 की धारा 3 के खंड 8 मे परिभाषित सेंट्रल गवर्नमेंट ; **ऐक्ट संख्या 10, 1897**

[1][(ङङ) "बन्दी" का तात्पर्य रोजगार के किसी स्थान या उसके भाग को स्थायी रूप से बन्द करने से है ;]

(च) "समझौता अधिकारी" से तात्पर्य है धारा 4–च के अधीन नियुक्त समझौता अधिकारी ;

(छ) "अनवरत सेवा" (Continuous service) से तात्पर्य है अखंडित (Uninterupted) सेवा और इसके अन्तर्गत वह सेवा भी है जो केवल बीमारी या अधिकृत अवकाश (Authorized leave) या दुर्घटना या ऐसी हड़ताल, जो अवैध न हो, या द्वारावरोध (Lockout) या ऐसी कार्य–समाप्ति (Cessation of work) के कारण जो मजदूर की ओर से किसी त्रुटि के कारण न हो, खंडित हो गयी हो, और किसी ऐसे मजदूर के सम्बन्ध में, जिसने बारह कलेंडर मासों की अवधि में, किसी उद्योग में दो सौ चालीस से अन्यून दिवसों तक वास्तव में कार्य किया हो, यह समझा जायेगा कि उसने उद्योग में एक वर्ष की अनवरत सेवा पूरी कर ली है ।

स्पष्टीकरण— उन दिवसों की संगणना करने में, जिसमें किसी मजदूर ने किसी उद्योग में वास्तव में कार्य किया हो वे दिवस जिनमें ––

(1) किसी करार के अधीन अथवा इंडस्ट्रियल इम्प्लायमेंट (स्टैंडिग आर्डर्स) ऐक्ट, 1946 के अन्तर्गत निर्मित स्थायी आदेशों के अधीन अथवा इस ऐक्ट के अथवा औद्योगिक संस्था (Establishment) पर प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दी गयी अनुज्ञा से उसकी काम बन्दी हुई है (Laid off) (और इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उसकी कामबन्दी के दिनों की अधिक से अधिक संस्था हिसाब में ली जायेगी) ; **अधिनियम संख्या 20, 1946**

(2) गत वर्ष में उपार्जित पूर्ण मजदूरी पर वह छुट्टी पर रहा है ; और

(3) स्त्री होने की दशा में, वह प्रसूति की छुट्टी पर रही है, किन्तु ऐसी प्रसूति की कुल छुट्टी की अवधि बारह सप्ताह से अधिक न होगी, सम्मिलित किये जायेंगे ।

(ज) "नियंत्रित उद्योग" का यह अर्थ होगा कि जो इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, 1947 की धारा 2 के खंड (ईई) में "Controlled industry" का है, **ऐक्ट संख्या 14, 1947**

(झ) "मालिक (Employer)" के अन्तर्गत है ––

(1) कोई संस्था अथवा मालिकों का समूह ;

(2) यदि उद्योग राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा संचालित अथवा निष्पादित किया जाता हो तो तदर्थ उल्लिखित प्राधिकारी, और यदि कोई ऐसा प्राधिकारी उल्लिखित न किया गया हो तो ऐसे विभाग का अध्यक्ष ;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 26, 1983 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) यदि उद्योग स्थानीय प्राधिकारी (Local authority) द्वारा अथवा उसकी ओर से संचालित या निष्पादित किया जाता हो तो ऐसे प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी (Chief Executive Officer) ;

(4) यदि किसी उद्योग का स्वामी, उद्योग के संचालन के दौरान में या ऐसे उद्योग के संचालन के प्रयोजन के लिये, किसी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति के द्वारा या उसके अधीन, किसी सम्पूर्ण कार्य के अथवा उसके किसी ऐसे भाग के निष्पादन के लिये जो सामान्यता उक्त उद्योग का एक भाग हो, संविदा करे, तो ऐसे उद्योग का स्वामी ;

(ञ) कोई व्यक्ति किसी बोर्ड, न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के चेयरमैन अथवा अन्य सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के प्रयोजन के लिये "स्वतंत्र" समझा जायगा यदि उसका ऐसे बोर्ड, न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में अभिविष्ट औद्योगिक झगड़े से अथवा किसी ऐसे उद्योग से जिस पर ऐसे झगड़े का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता हो, कोई सम्बन्ध न हो ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति का केवल इसी तथ्य के कारण स्वतंत्र न रहना नही समझा जायेगा कि यह किसी ऐसी निगमित कम्पनी (incorporated company) का हिस्सेदार है जो ऐसे औद्योगिक झगड़े से संसक्त है अथवा जिस पर उसका प्रभाव पड़ने की संभावना है ; किन्तु ऐसी दशा में वह राज्य सरकार को यह सूचित करेगा कि ऐसी कम्पनी में उसके किस प्रकार के और किस आयति (extent) तक हिस्से है ;

(ट) "उद्योग" से तात्पर्य है मालिकों का कोई कारबार, व्यापार, धंधा, निर्माण (manufacture) या आजीविका (calling) और इसके अन्तर्गत मजदूरों को कोई आजीविका, सेवा, रोजगार, दस्तकारी अथवा औद्योगिक व्यवसाय अथवा उप–व्यवसाय (avocation) है ;

(ठ) "औद्योंगिक झगड़ों" से तात्पर्य है मालिकों और मालिकों अथवा मालिकों और मजदूरों अथवा मजदूरों और मजदूरों के बीच कोई ऐसा झगड़ा या मतभेद जो किसी व्यक्ति के रोजगार अथवा अरोजगार (employment or unemployment) अथवा नियोजन के निबन्धनों (terms) अथवा श्रम की शर्तो (conditions) से सम्बन्ध रखता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा औद्योगिक झगड़ा नही है जो निम्नलिखित के सम्बन्ध में हो ––

(1) कोई उद्योग जो केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन अथवा किसी रेलवे कम्पनी द्वारा निष्पादित किया जात हो ; अथवा

(2) ऐसा नियंत्रित उद्योग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा एतदर्थ उल्लिखित किया जाय; अथवा

(3) इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, 1947 में परिभाषित बैकिंग तथा बीमा कम्पनियाँ ; अथवा **ऐक्ट संख्या 14, 1947**

(4) खान अथवा तेल क्षेत्र (oil-field) ;

(ड़) "श्रम न्यायालय" से तात्पर्य है, धारा 4–क के अधीन संघटित श्रम न्यायालय ;

(ढ) "कामबन्दी" (इसके व्याकरण सम्बन्धी शब्द–भेदों तथा सजातीय पदों के सहित) से तात्पर्य है मालिक का किसी ऐसे मजदूर को जिसका नाम उसके औद्योगिक संस्था की उपस्थिति नामावलि में दर्ज हो और जिसकी छटनी न हुई हो, कोयले, बिजली अथवा कच्चे माल की कमी होने से अथवा स्टाक जमा हो जाने से अथवा मशीन के टूट जाने से अथवा अन्य कारणवश काम देने में असफल रहना, काम देने से इन्कार करना अथवा काम देने में असमर्थ होना ;

स्पष्टीकरण—प्रत्येक मजदूर जिसका नाम औद्योगिक संस्था की उपस्थिति नामावलि (muster-roll) में दर्ज है और जो किसी दिन संस्था में कार्य करने के लिये सामान्य कार्य के घन्टों मे उस प्रयोजन के लिये निश्चित समय पर उपस्थित होता है और मालिक द्वारा उसे इस प्रकार उपस्थित होने के दो घन्टे के भीतर कार्य नही दिया जाता है तो इस खंड के अर्थ में यह समझा जायगा कि उस दिन के लिये उसकी काम–बन्दी (laid off) हुई है ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी दिन किसी पारी (shift) के आरम्भ में मजदूर को कार्य देने के स्थान पर उससे कहा जाय कि वह काम के लिये उस दिन की पारी के उत्तरार्ध में उपस्थित हो और तब उसको कार्य दिया जाय तो यह समझा जायगा कि उस दिन उसकी केवल आधे दिन के लिये काम बन्दी हुई है ;

और प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि उसे इस प्रकार स्वयं उपस्थित होने पर भी उक्त कोई काम (employment) नही दिया जाता तो उसके बारे में यह न समझा जायेगा कि उसकी उस दिन की पारी के उत्तरार्द्ध के लिये काम–बन्दी (laid off) है और वह दिन के उस भाग के लिये पूरी मूल मजदूरी (basic wages) तथा महंगाई भत्ता पाने का अधिकारी होगा ।

(ण) "द्वारावरोध" (lock-out) का तात्पर्य रोजगार के किसी स्थान को बन्द करना अथवा कार्य को निलंबित कर देना (suspension) अथवा मालिक द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्तियों में किसी भी संख्या को नियुक्त किये रखने से उसका इंकार करना है ;

(त) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा नियत से है;

(थ) "सार्वजनिक उपयोगिता की सर्विस" का तात्पर्य ––

(1) किसी औद्योगिक संस्था की किसी ऐसी उपशाखा से है जिसके कार्य संचालन पर संस्था की अथवा उसमें नियुक्त मजदूरों की सुरक्षा निर्भर हो ;

(2) कोई ऐसा उद्योग जो जनता के लिये शक्ति (power), रोशनी अथवा पानी का प्रबन्ध करता हो ;

(3) सफाई और जनता के स्वास्थ्य की रक्षा की कोई प्रणाली ;

(4) कोई उद्योग अथवा धंधा , जिसे राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाय कि सार्वजनिक आवश्यकता अथवा सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, ऐसी अवधि के लिये जो विज्ञप्ति में निश्चित की जाय, इस अधिनियम के प्रयोजन के निमित्त सार्वजनिक उपयोगिता की सर्विस घोषित करे ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निश्चित की गई अवधि प्रथमतः 6 महीने से अधिक न होगी किन्तु उसे उपर्युक्त प्रकार की विज्ञप्ति द्वारा, किसी भी समय 6 महीने से अनधिक की किसी अवधि के लिये, समय–समय पर बढ़ाया जा सकता है यदि राज्य सरकार की राय में उस अवधि का इस प्रकार बढ़ाया जाना सार्वजनिक आवश्यकता के लिये अथवा सार्वजनिक हित में जरूरी हो ;

(द) "पंजीयन" (registraiton) का तात्पर्य, जहाँ तक किसी निपटारे (settlement) का प्रश्न है, धारा 6–ख के अनुसार पंजीयन से है ;

(ध) "छंटनी" (retrenchment) का तात्पर्य अनुशासनीय कार्यवाही के रूप में दिये गये दण्ड से भिन्न किसी कारण से भी किसी मजदूर की सेवा को मालिक द्वारा समाप्त करना है, किन्तु इसके अन्तर्गत,

(1) मजदूर का स्वेच्छा से सेवा–निवृत्त (retire) हो जाना शामिल नहीं है; अथवा

(2) नियत–सेवा–अवधि (superannuation) की वय प्राप्त कर लेने पर, यदि संबंधित मालिक तथा मजदूर के बीच हुए संविदा (contract) में तदर्थ कोई सेवावधि निश्चित की गई हो, मजदूर की सेवा–निवृत्ति शामिल नही है ;

(न) "निपटारा" (settlement) का तात्पर्य समझौते की कार्यवाहियों (conciliation proceedings) के दौरान में हुए निपटारे से है तथा इसके अन्तर्गत समझौते की कार्यवाहियों के दौरान में हुई कार्यवाहियों से भिन्न दशा में मालिक तथा मजदूरों के बीच हुआ ऐसा लिखित निपटारा भी शामिल है जिस पर, ऐसी रीति से जो नियत की जाय, उससे सम्बद्ध पक्षों के हस्तक्षार हों तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार और संबंधित समझौता अधिकारी को भेज दी गई हो ;

(प) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(फ) "हड़ताल" का तात्पर्य किसी उद्योग में नियुक्त व्यक्तियों के किसी समुदाय (body) द्वारा, सामूहिक रूप से (in combination) काम को ठप करना अथवा कितेक व्यक्तियों द्वारा जो इस प्रकार नियुक्ति हों अथवा किये गये हों, बराबर कार्य करने के लिये अथवा कार्य स्वीकार करने के लिये सामूहिक रूप से अथवा सामूहिक बोध (common understanding) से इंकार करना है ;

(ब) "न्यायाधिकरण" (Tribunal) का तात्पर्य धारा 4–ख के अधीन नियुक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण से है ;

(भ) "संघ" (Union) का तात्पर्य इण्डियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट, 1926 के अधीन पंजीबद्ध (registered) ट्रेड यूनियन से है ; **ऐक्ट सं० 16, 1926**

(म) "मजदूरी" (Wages) का तात्पर्य ऐसे सभी पारिश्रमिक (remuneration) से है जो धन के रूप में प्रकट किये जाने के योग्य हो और जो नौकरी के स्पष्ट अथवा उपलक्षित (expressed or implied) निबन्धनों (terms) की पूर्ति हो जाने पर मजदूर के रोजगार की दशा में अथवा रोजगार में किये गये कार्यो की दशा में उसे देय हों, और इसके अन्तर्गत ––

(1) ऐसे भत्ते (जिनमें महंगाई भत्ता भी है), जिन्हें तत्समय पाने का वह मजदूर अधिकारी हो ;

(2) किसी गृह आवास का, अथवा रोशनी, जल या चिकित्सा सम्बन्धी उपचार का, अथवा अन्य किसी सुविधा या किसी सेवा का, अथवा खाद्यान्नों या अन्य पदार्थो का रियायती तौर पर प्रबन्ध करने का मूल्य ;

(3) यात्रा सम्बन्धी कोई रियायत सम्मिलित है, किन्तु सम्मिलित निम्नलिखित नहीं है :–

(क) कोई बोनस ;

(ख) मालिक द्वारा किसी सेवा–निवृत्त निधि (Pension fund) अथवा भविष्य निधि (Provident Fund) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजदूर के लाभ के लिये मालिक द्वारा दिया गया अथवा देय (Paid or payable) कोई अंशदान ;

(ग) मजदूर को सेवा की समाप्ति पर देय कोई अनुग्रह धन (Gratuity) ;

(घ) "मजदूर" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है (जिसके अन्तर्गत शिशिक्षु भी है) जो किरायें पर अथवा पुरस्कार के रूप में, किसी निपुण अथवा अनिपुण, शारीरिक श्रम करने अथवा अधीक्षणीय, प्राविधिक अथवा लिपिक सम्बन्धी (Supervisory, technical or clerical) कार्य करने के लिये किसी उद्योग में नियुक्त हुआ हो चाहे रोजगार सम्बन्धी

नियुक्त हुआ हो चाहे रोजगार सम्बन्धी निर्बन्धन (Terms) स्पष्ट हों अथवा उपलक्षित, तथा किसी औद्योगिक झगड़े के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये मजदूर के अन्तर्गत ऐसा भी व्यक्ति है जो उस झगड़ें के संबंध में अथवा उसके परिणामस्वरूप बरखास्त किया गया हो अथवा सेवामुक्त किया गया हो, अथवा उसकी छटनी की गयी हो (Dismissed, discharged or retrenched) अथवा जिसकी बरखास्तगी, सेवामुक्ति अथवा छटनी के कारण वह झगड़ा उठ खड़ा हुआ हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नही है जो ––

ऐक्ट संख्या 46, 1950
ऐक्ट संख्या 45, 1950
ऐक्ट संख्या 34, 1934

(1) आर्मी ऐक्ट, 1950 अथवा एयर फोर्स ऐक्ट, 1950 अथवा नेवी डिसिप्लिन ऐक्ट, 1934 के अधीन हो ; अथवा

(2) पुलिस सर्विस में अथवा किसी बन्दीगृह के अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त हो ; अथवा

(3) जो मुख्यतः प्रबन्ध सम्बन्धी अथवा प्रशासकीय रूप में (Managerial or administrative capacity) नियुक्त हो ; अथवा

(4) जो अधीक्षणीय रूप में नियुक्त होने के कारण 500 रूपये मासिक से अधिक मजदूरी (wage) पाता हो अथवा पद से सम्बद्ध कर्तव्यों के प्रकार के कारण अथवा उस व्यक्ति में निहित अधिकारों के कारण मुख्यतः प्रबन्ध सम्बन्धी कृत्यों का सम्पादन करता हो।][1]

किसी मजदूर की पदुच्युति आदि के औद्योगिक झगड़ा समझा जाएगा

[2]**[2–क**–जहाँ कोई मालिक किसी एक मजदूर की सेवोन्मुक्ति, पदच्युति, छटनी या अन्य प्रकार से सेवा–समाप्ति करता है, वहाँ उस मजदूर और उसके मालिक के बीच ऐसी सेवोन्मुक्ति, पदच्युति, छंटनी या सेवा–समाप्ति से सम्बद्ध या उत्पन्न होने वाले किसी झगड़ा या मतभेद को औद्योगिक झगड़ा समझा जायगा भलें ही कोई अन्य मजदूर या कोई मजदूर संघ उस झगड़े में पक्षकार न हो ।]

हड़तालों द्वारावरोधों आदि को रोकने का अधिकार

3–यदि प्रान्तीय सरकार की राय में यह आवश्यक या युक्तिसंगत हो कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा के सरंक्षण के लिये या सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने या सार्वजनिक जीवन के लिये आवश्यक रसद तथा सर्विसों की व्यवस्था बनाये रखने के लिये या रोजगार को जारी रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक है, तो वह साधारण या विशेष आज्ञा द्वारा व्यवस्था कर सकती है : ––

(क) आज्ञा के आदेशों के अधीन, साधारणतः हड़तालों या द्वारावरोधों के या किसी औद्योगिक झगड़े से संबंधित किसी हड़ताल या द्वारावरोध के निषेध के लिये ;

(ख) ऐसी अवधि के लिये जो आज्ञा में बताई गई हो, मालिकों, मजदूरों या दोनों को नौकरी की ऐसी शर्तो का पालन करने की आज्ञा देने के लिये जो उक्त आज्ञा के अनुसार निर्धारित की जाये ;

(ग) [3][* * * *]

[4][(ग) मालिक और मजदूरों के बीच में सौहार्द और अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने और औद्योगिक झगड़ों को समझौते द्वारा तय करने के लिये मालिक तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों की समिति नियुक्त करने के लिये और उत्पादन, संगठन, कल्याण और निपुणता से संबंध रखने वाले विषयों पर परामर्श करने और सलाह देने के लिये।]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 34, 1978 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 की धारा 3 द्वारा खण्ड (ग) निकाल दिया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1950 की धारा 2 द्वारा नये खण्ड "गग" के रूप में बढ़ाया गया जो उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1957 की धारा 3 द्वारा खण्ड "ग" कर दिया गया ।

[1][(घ) आज्ञा में उल्लिखित रीति से औद्योगिक झगड़ों का निपटारा करने के निमित्त समझौता बोर्डो का संघटन तथा कार्य संचालन करने के लिये।]

(ङ) सार्वजनिक उपयोगिता की किसी सर्विस या किसी सहायक कारोबार को यह आज्ञा देने के लिये कि वह उसे बन्द न करे या बन्द न रक्खे और ऐसी शर्तो के अनुसार कार्य करे या कार्य करता रहे जो उक्त आज्ञा में बताई जाये ;

(च) किसी व्यक्ति (जिसे उपरान्त अधिकृत नियामक कहा गया है) को सार्वजनिक उपयोगिता की किसी सर्विस या किसी कारोबार या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में नियंत्रण के ऐसे कर्तव्यों का प्रयोग करने का अधिकार देकर जो उक्त आज्ञा में बताये जायें, ऐसी सर्विस या कारोबार पर नियंत्रण रखने के लिये और ऐसी आज्ञा से निकाली जाने पर, उक्त सर्विस या कारोबार या कोई भाग, जैसी कि स्थिति हो, उक्त आज्ञा के प्रचलित रहने तक, उन आदेशों के अनुसार चलाया जायगा जो अधिकृत नियामक उक्त आज्ञा के आदेशों के अन्तर्गत दे और प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसी सर्विस, कारोबार या उसके किसी भाग के संबंध में कोई प्रबन्ध का कार्य करता हो, ऐसे आदेशों का पालन करेगा ;

(छ) किन्ही प्रांसंगिक या पूरक विषयों के संबंध में जो उक्त आदेश के प्रयोजनों के लिये [2][राज्य सरकार] को आवश्यक या उचित प्रतीत हों ;

अपवाद यह है कि वाक्य खण्ड (ख) के अधीन दिया हुआ कोई आदेश ––

(1) किसी स्वामी (उद्योगपति) को सेवा–सम्बन्धी ऐसी शर्तो और नियमों के पालन करने के लिये बाध्य न करेगा जो काम करने वालों के लिये उन शर्तो और नियमों की अपेक्षा कम हितकर हों, जो आदेश देने की तारीख से पूर्व के तीन मासों में किसी समय भी उन पर लागू थे ;

(2) [3][* * * *]

सार्वजनिक उपयोगिता सेवा (सर्विस) के रोजगार या व्यवसाय एवं सहायक धंधों का नियंत्रण

[4]**[3–क–** (1) यदि सार्वजनिक उपयोगिता को सर्विस का कोई रोजगार या व्यवसाय या अन्य सहायक धन्धा बन्द हो जाय या बन्द होने वाला हो, तो कुल हिस्सेदारों की संख्या में से ऐसे आधे से अधिक के, जिनका उक्त रोजगार या व्यवसाय में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत से अधिक अंश हो, प्रार्थना–पत्र पर, राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति को वह रोजगार या व्यवसाय, ऐसी अवधि के लिये, उस रीति से और उस हद तक करने के लिये अधिकृत कर सकती है, जो आज्ञा में निर्दिष्ट हो ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक राज्य सरकार को यह संतोष न हो जाय कि ऐसा करना जनता की आवश्यक सेवाओं (एसेन्शियल सर्विसेज) और सामग्रियों (सप्लाइज) को कायम रखने और रोजगार को बनाये रखने के लिये आवश्यक है, तब तक इस प्रकार की कोई आज्ञा न दी जायगी ;

और यह भी प्रतिबन्ध है कि राज्य सरकार समय–समय पर गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा उपर्युक्त आज्ञा में दी हुई अवधि को बढ़ा सकती है ।]

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकृत व्यक्ति, जब तक उक्त सेवा (सर्विस) या धन्धा सम्बन्धी रोजगार या व्यवसाय कर रहा हो ––

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. ऐडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविशियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 की धारा 3 द्वारा निकाला गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 25, 1950 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

[(क) तब तक ऐसा व्यक्ति ऐसी सेवा (सर्विस) या धन्धा के सब कामों के प्रबन्ध का अधिकारी होगा और फर्म की ओर से कार्य करते हुए या कार्य करने के लिये अभिप्रेत किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी अधिकार न होगा । पूर्वोक्त अधिकृत व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह प्रबन्ध के लिये ऐसे कर्मचारी या अभिकरण (एजेन्सी) नियुक्त कर सके, जिसे वह उचित समझे ;

(ख) हिस्सेदारों या किसी दूसरे व्यक्ति को यह अधिकार न होगा कि वह रोजगार या व्यवसाय के काम को अपने नियंत्रण में रखे या उसके चलाने में कोई भाग लें ;

(ग) ऐसे व्यक्ति के विषय में यह समझा जायगा कि वह उक्त सेवा (सर्विस) या धन्धें के एजेन्ट के रूप में काम कर रहा है और उस व्यक्ति को केवल ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन, जो राज्य सरकार उस पर लगावे, उक्त सेवा (सर्विस) या धन्धे के कामों के प्रबन्ध के संबंध में ऐसे सब सामर्थ्य और अधिकार होंगे जो उक्त सेवा या धंधे के होते, यदि उसका रोजगार या व्यवसाय उपधारा (1) के अधीन न ले लिया गया होता ;

(घ) उपर्युक्त प्रबन्ध से संबंध रखने वाले ऐसे मामलों के विषय में, जो राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट किये जायें, ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे आभार या बन्धन से बाधित न होगा, जो उस पर ऐसी सेवा (सर्विस) या धंधे के एजेन्ट के रूप में किसी विधि, आलेख्य या संविदा के द्वारा या अधीन लगाये गये हों ;

(ड़) ऐसे व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह ऐसी सेवा (सर्विस) या धंधे की सम्पत्ति से, उपर्युक्त प्रबन्ध के अथवा उसके आनुषंगिक सब लागत, भार और व्यय और ऐसा वेतन, जो राज्य सरकार निश्चित करे, रख लेवे ।

(3) कोई व्यक्ति, जो उक्त सेवा या धंधे सम्बन्धी रोजगार या व्यवसाय करने के लिये उपधारा (1) के अधीन अधिकृत किया गया हो, ऐसे रोजगार या व्यवसाय के प्रबन्ध करने में सद्भावना से किये हुए कार्यो के लिये जाती तौर से उत्तरदायी न होगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन आज्ञा के प्रकाशित होने पर राज्य सरकार आज्ञा द्वारा उक्त सेवा और धंधे के हिस्सेदारों, डाइरेक्टरों, सेकेटरी और मैनेजर को या किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को, जो उसके प्रबन्ध की देख–रेख करता हो, यह आदेश देगी कि वह उक्त सेवा या धंधे के रोजगार या व्यवसाय का प्रबन्ध उक्त आज्ञा में उल्लिखित व्यक्ति को सौंप दे ।

(5) उपधारा (1) के अधीन अधिकृत व्यक्ति के निवेदन पर कलेक्टर उक्त सेवा या धंधे या काम उक्त व्यक्ति को सौंप देगा और ऐसा कार्य कर या करा सकेगा और ऐसे बल का प्रयोग कर या करा सकेगा, जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक हो ।

धारा 3 (च) के अनियंत्रण को उपभोग में हुए व्यक्ति को धारा 3क के अधीन नियुक्त हुए समझा जाना

3–ख–यदि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधक) अधिनियम, 1950 ई० के प्रारम्भ के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर, कई व्यक्ति धारा 3 के खण्ड (च) के अधीन दी गयी मात्रा के अनुसार सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा (सर्विस) या किसी सहायक धन्धे के विषय में नियंत्रण उपयोग में लाता रहा हो, तो उक्त खण्ड या धारा 3–क के किसी बात के रहते हुए भी उसके विषय में यह समझा जायगा कि उक्त ऐक्ट के प्रारम्भ से ही वह ऐसा व्यक्ति रहा है, जो धारा 3–क के अनुसार और उसके अधीन वैध रूप से अधिकृत किया गया था और उपर्युक्त आज्ञा का उसी प्रकार प्रभाव होगा मानो वह धारा]**1**

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 25, 1950 की धारा 3 द्वारा जोड़ा गया।

3–क के अधीन यथावत और वैध रूप से दी गयी थी।][1]

नये उद्योगों को छूट प्रदान करने की शक्ति

[2][**3–ग**–जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक गतिविधियाँ तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिये लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वहाँ वह गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे नये उद्योग अथवा नये उद्योगों के वर्ग, जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ होने के पश्चात् एक हजार (1000) दिवसों की अवधि के भीतर स्थापित किया गया हो/किये गये हों, को अधिनियम के समस्त अथवा किसी उपबंध से सशर्त अथवा बिना किसी शर्त के, ऐसे उद्योग या उद्योगों के वर्ग की स्थापना के दिनांक से एक हजार (1000) दिवसों की अवधि के लिये छूट प्रदान कर सकती है।**]**

4–[3][* * * *]

श्रम न्यायालय

[4][**4–क–** (1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी मामले के संबंध में औद्योगिक झगड़ों के निर्णय के लिये तथा किसी ऐसे अन्य कार्य के संपादन के लिये जो इस अधिनियम के अधीन उन्हें सौपा जाय, एक या एकाधिक न्यायालयों को संघटित कर सकती है।

(2) श्रम न्यायालय में केवल एक व्यक्ति होगा जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी।

(3) कोई भी व्यक्ति श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) के रूप में नियुक्त होने के लिये तब तक अर्ह न होगा जब तक ––

[5][(क) वह तीन वर्षों से अन्यून अवधि तक जिला जज या अपर जिला जज न रहा हो ; अथवा

(ख) उसने दो वर्षों से अन्यून अवधि तक इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (अपीलेट ट्रीब्युनल) ऐक्ट, 1950 के अधीन संघटित श्रम अपील न्यायधिकरण (लेबर अपीलेट ट्रीब्युनल) के या किसी न्यायाधिकरण के चेयरमैन अथवा किसी अन्य सदस्य का पद न ग्रहण किया हो; अथवा

(ग) वह पांच वर्षों से अन्यून अवधि तक किसी प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अधीन संघटित श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी न रहा हो ; अथवा]

(घ) उसने सात वर्षों से अन्यून अवधि तक के लिये भारत में कोई न्यायिक पद (Judicial Office) न ग्रहण किया हो ; अथवा

(ङ) धारा 4–घ के अधीन तैयार की गयी सूची मे उसका नाम दर्ज न हो ।

न्यायाधिकरण

4–ख–(1) राज्य सरकार सरकारी गजट मे विज्ञप्ति द्वारा प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची मे उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध मे औद्योगिक झगड़ों का निर्णय करने के लिये एक अथवा एकाधिक औद्योगिक न्यायाधिकरण संघटित कर सकती है ।

(2) न्यायाधिकरण में सिवाय उस दशा के जब कि धारा 5–क के अधीन कोई अन्य व्यवस्था की गई हो, केवल एक व्यक्ति होगा जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी ।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी होने के लिये तब तक अर्ह न होगा जब तक कि ––

(क) वह किसी हाईकोर्ट का जज न हो अथवा न रहा हो, अथवा

[6][(कक) वह तीन वर्षों से अन्यून अवधि तक जिला जज या अपर जिला जज न रहा हो, अथवा]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 25, 1950 की धारा 3 द्वारा बढ़ायी गयी ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 15, 2021 की धारा.2 द्वारा बढ़ायी गयी।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 की धारा 4 द्वारा धारा 4 निकाल दी गयी ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 द्वारा धारा 4.क से 4.ट तक जोड़ी गयी ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 2, 1966 की धारा 2 द्वारा मूल खण्ड (क) व (ख) को खण्ड (घ) व (ङ) के रूप में पुनः अक्षरित किया गया और नए खण्ड (क) से (ग) बढ़ा दिये गये ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1966 की धारा 3 द्वारा जोड़ी गयी ।

(ख) वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (अपीलेट ट्रीब्यूनल) ऐक्ट, 1950 के अधीन संघटित किसी श्रम अपील न्यायाधिकरण (Labour Appellate) का दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिये अथवा संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 ई० के अधीन संघटित किसी न्यायाधिकरण का पांच वर्ष से अन्यून किसी अवधि के लिये चेयरमैन अथवा अन्य किसी सदस्य के रूप में पदासीन न रहा हो, अथवा

ऐक्ट संख्या 48, 1950 सं० प्रा० ऐक्ट संख्या 28, 1947

(ग) उसका नाम धारा 4–घ के अधीन तैयार की गई सूची में दर्ज न हो ।

(4) राज्य सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, न्यायाधिकरण को उसके समक्ष प्रस्तुत कार्यवाहियों के संबंध में परामर्श देने के लिये असेसरों के रूप में दो व्यक्तियों तक की नियुक्ति कर सकती है ।

श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी की अनर्हताएं

4–ग–कोई भी व्यक्ति श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद पर न तो नियुक्त किया जायगा और न बना रहेगा यदि ––

(1) वह स्वतंत्र व्यक्ति न हो, अथवा

(2) उसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो ।

श्रम न्यायालय तथा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के निमित्त व्यक्तियों की सूचियां

4–घ–धारा 4–क के अधीन श्रम न्यायालय तथा धारा 4–ख के अधीन औद्योगिक न्यायाधिकरण निर्मित करने के प्रयोजन से राज्य सरकार ––

(क) उन सभी व्यक्तियों की एक सूची जो किसी श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये जा सकें , तथा

(ख) उन सभी व्यक्तियों की एक सूची जो किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये जा सकें ,

बनवायेगी तथा उस सूची को, उसमें ऐसे परिवर्तनों का समावेश करते हुए रखेगी, जिसकी सूचना धारा 4–ड़ के अधीन नियुक्त समिति समय–समय पर प्रस्तुत करे ।

धारा 4–घ के अधीन सूचियाँ तैयार करने के निमित्त समिति

4–ङ– [1] [(1) राज्य सरकार एक समिति संघटित करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगेः––

(क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश, न्यायाधीश, जो ज्येष्ठ हो, अध्यक्ष होगा ;

(ख) राज्य सरकार का मुख्य सचिव ;

(ग) श्रम विभाग में राज्य सरकार का यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव ;

(घ) विधायी विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव ;

(ड़) न्याय विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव ;

(च) श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश ;

(छ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो किसी लोक सेवा आयोग का सदस्य हो या रहा हो ।]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 21, 2000 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) उपधारा (1) के अधीन संघटित समिति धारा 4–घ में उल्लिखित सूचियां नियत रीति से ––

(क) उक्त धारा के खण्ड (क) में उल्लिखित सूची की दशा में, श्रम तथा उद्योग से सम्बद्ध विषयों में व्यक्ति की शिक्षा तथा व्यावहारिक अनुभव का ध्यान रखते हुए, तथा

(ख) उसके खण्ड (ख) में उल्लिखित सूची की दशा में व्यक्ति की उन विषयों की विशेष जानकारी का भी ध्यान रखते हुए तैयार करेगी ।

[1][(3) केवल ऐसा व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन तैयार की गयी सूची में नामांकन के लिए पात्र होगा जो राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा या उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो, या भारतीय प्रशासनीक सेवा, या राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) या राज्य श्रम सेवा का सदस्य हो या रहा हो और न्याय व्यवस्था का तीन वर्ष से अन्यून अवधि का अनुभव रखता हो ।]

समझौता अधिकारी

4–च–(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके उतने व्यक्तियों को, जितनों को वह उचित समझें, नियत की जाने वाली रीति से औद्योगिक झगड़ों में मध्यस्थता करने तथा उन्हें निपटाने के कर्तव्य का पालन करने के निमित्त समझौता अधिकारी नियुक्त कर सकती है ।

(2) समझौता अधिकारी किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के निमित्त नियुक्त किया जा सकता है ।

रिक्तियों की पूर्ति

4–छ–यदि किसी कारणवश श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो जाय तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को रिक्ति पूर्ति के निमित्त नियुक्त करेगी और यथास्थिति श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष उसी चरण (stage) से, जब की रिक्ति पूर्ति हुई हो, कार्यवाही जारी रक्खी जायगी ।

आज्ञाओं का अन्तिम रूप देना

4–ज–बोर्ड में किसी भी व्यक्ति की अथवा श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति संबंधी राज्य सरकार की आज्ञा पर किसी भी रीति से आपत्ति न की जा सकेगी तथा किसी भी बोर्ड, श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष किये गये किसी भी कार्य अथवा की गयी किसी भी कार्यवाही पर किसी भी रीति से केवल इस आधार पर आपत्ति न की जा सकेगी कि ऐसे बोर्ड, श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के संघटन में कोई दोष था अथवा उसमें कोई रिक्ति रह गई थी ।

परिवर्तन की नोटिस

4–झ–कोई भी मालिक, जो तृतीय अनुसूची में उल्लिखित किसी विषय के संबंध में किसी मजदूर की सेवा के प्रतिबन्धों में कोई परिवर्तन करना चाहे, ऐसा परिवर्तन ––

(क) ऐसे मजदूरों को, जिन पर ऐसे परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना हो, किये जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन के स्वरूप की नियत रीति से सूचना दिये बिना ; तथा

(ख) ऐसी नोटिस देने के 21 दिन के भीतर, न कर सकेगा :

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 2, 2007 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी दशा में उपर्युक्त कोई परिवर्तन कार्यान्वित करने के लिये कोई नोटिस आवश्यक न होगा जब कि ––

(1) परिवर्तन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (अपीलेट ट्रिव्यूनल) ऐक्ट, 1950 के अधीन संघटित किसी अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) के किसी भी निपटारे, पंच–निर्णय अथवा निर्णय के अनुसार हो, अथवा

[1][(2) परिवर्तन का प्रभाव जिन मजदूरों पर पड़ने की संभावना हो, वे ऐसे व्यक्ति हों, जिन पर फन्डामेंन्टल ऐण्ड सप्लीमेन्टरी रूल्स, सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कंट्रोल ऐण्ड अपील) रूल्स, सिविल सर्विसेज (टेम्पोरेरी सर्विस) रूल्स, सिविल सर्विस रेगुलेशन्स अथवा कोई अन्य नियम अथवा विनियम लागू होते हों, जो राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ सरकारी गजट में विज्ञापित किये जायें।]

सरकार का मुक्त (exempt) करने का अधिकार

4–ञ–जब राज्य सरकार की राय में औद्योगिक संस्थाओं (Establishments) के किसी वर्ग पर अथवा किसी औद्योगिक संस्था मे नियुक्त मजदूरों के किसी वर्ग पर धारा 4–झ के उपबन्धों के लागू होने से तत्संबंधित मालिकों पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जिसका कि सम्बद्ध उद्योग पर गंभीर दुष्परिणाम हो सकता हो और साथ ही सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक हो तो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके आदेश दे सकती है कि उक्त धारा के उपबन्ध औद्योगिक संस्थाओं के उस वर्ग पर अथवा किसी औद्योगिक संस्था में नियुक्त मजदूरों के उस वर्ग पर लागू न होंगे अथवा ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट कर दिये जाये।

श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को विवादों का अभिदेश (reference)

4–ट–जब राज्य सरकार की राय में कोई औद्योगिक झगड़ा विद्यमान हो अथवा उसकी आशंका हो तो वह किसी भी समय लिखित आज्ञा देकर उस झगड़े की अथवा उससे संबद्ध अथवा संगत प्रतीत होने वाले किसी भी विषय को निर्णय के लिये, यदि औद्योगिक झगड़े का विषय उन विषयों में से एक हो, जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित है, तो किसी श्रम न्यायालय को और यदि वह विषय प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हो तो उसे किसी न्यायाधिकरण को सौंप सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब विवाद किसी ऐसे विषय से सम्बद्ध हो जो द्वितीय अनुसूची मे निर्दिष्ट हो और उससे एक सौ से अधिक मजदूरों पर प्रभाव पड़ने की संभावना न हो तो राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, उसे श्रम न्यायालय को अभिदिष्ट कर सकती है ।][2]

किसी निर्णय संबंधी कार्यवाही में अन्य उद्योगों का समावेश करने का अधिकार

5–(1) जब कोई औद्योगिक विवाद, जो [3][धारा 4–ट] के अधीन निर्णय के लिये सौंपा गया हो, किसी एक ही विशेष उद्योग के संबंध में अथवा उद्योगों के समूह के संबंध में उत्पन्न हुआ हो तो [4][राज्य सरकार] को अधिकार होगा कि वह निर्णय संबंधी कार्रवाई में किसी अन्य उद्योग का भी या तो स्वयं ही या इस संबंध में प्राप्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर समावेश करे चाहे उस उद्योग मे उस समय कोई औद्योगिक विवाद उपस्थित हो अथवा न हो । अपवाद यह है कि [4][राज्य सरकार] इस बात से संतुष्ट हो कि ––

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 23, 1957 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 की धारा 4 द्वारा 4–क से 4–ट तक जोड़ी गयी ।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 की धारा 5 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।

4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित ।

(i) उस उद्योग में जिसको इस प्रकार समाविष्ट करना है, उसी ढंग का धन्धा या काम होता है जिस प्रकार का उस उद्योग या उद्योगों के समूह में होता है, जिसमें या जिनमें निर्णय करने के लिये सौंपा हुआ औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है, और

[1][* * * *]

(ii) निर्णय करने के लिये सौंपे हुए औद्योगिक विवाद के विचारणीय विषयों के कारण उस उद्योग में जिसको इस प्रकार समाविष्ट करना है या तो पहले से ही उसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो गया है या वे ऐसे विषय है जिनके कारण वर्तमान परिस्थिति में उसके उत्पन्न होने को उचित रूप से आशा की जा सकती है ।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन निर्णय संबंधी कार्रवाई में किसी अन्य उद्योग का समावेश कर लिया जाय, तो जो इस ऐक्ट के अधीन दिये हुए किसी ऐसे आदेश के निर्देश उस दशा के अतिरिक्त, जिसकी व्यवस्था इसके विपरीत ऐसे किसी आदेश या निर्णय में स्पष्टतः की गई हो, ऐसे उद्योग पर या उसके संबंध में उस प्रकार से लागू होंगे, जिस प्रकार वे किसी ऐसे उद्योग या उद्योग समूह पर या उनके संबंध मे लागू होते है, जिसमें निर्णय करने के लिये सौंपा हुआ औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ था ।

न्यायाधिकरण की विशेष रचना

[2][**5–क**–(1) जब कोई औद्योगिक झगड़ा धारा 4–ट के अधीन किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपा जाय तो राज्य सरकार, झगड़े के प्रकार एवं उद्योग पर अथवा उसके किसी भाग पर उसके निर्णय के सम्भाव्य प्रभाव का ध्यान रखते हुए अथवा यदि झगड़ा ऐसा हो, जिससे सम्भवतः एकाधिक औद्योगिक संस्थाओं पर प्रभाव पड़ता हो, यदि उसके विचार में ऐसा करना आवश्यक हो, तो उक्त धारा में किसी भी बात के होते हुए भी तीन व्यक्तियों का एक न्यायाधिकरण संघटित कर सकती है जिसमें से एक व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार नामोदिष्ट करेगी, अध्यक्ष होगा ।

(2) उपधारा (1) में की गई व्यवस्था को छोड़कर औद्योगिक न्यायाधिकरण के संघटन, नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताओं और अनर्हताओं, ऐसे न्यायाधिकरणों के अधिकर ओर कर्तव्य, उनके द्वारा आद्योगिक झगड़ों की सुनवाई और निस्तारण में अनुसरणीय प्रक्रिया, निर्णय के प्रदान, इसके परिष्कार तथा इसकी कार्यान्विति से सम्बद्ध इस अधिनियम के समस्त उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित इस धारा के अधीन संघटित न्यायाधिकरण पर लागू होंगे ।

झगड़ों का मध्यस्थ निर्णय (arbitration) के लिए स्वेच्छापूर्वक सौंपा जाना

5–ख–(1) जब कोई औद्योगिक झगड़ा विद्यमान हो अथवा उसकी आशंका हो तथा मालिक और मजदूर उस झगड़े को मध्यस्थ निर्णय के लिए अभिदिष्ट करने पर एकमत हों तो वे धारा 4–ट के अधीन किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को झगड़ा अभिदिष्ट करने से पूर्व उसे लिखित करार करके मध्यस्थ निर्णय के निमित्त सौंप सकते हैं तथा यह अभिदेश ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को (जिसके अन्तर्गत श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी भी है) मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों के रूप में होगा जो मध्यस्थ निर्णय सम्बन्धी कारार में उल्लिखित हों ।

(2) उपधारा (1) में अभिदिष्ट मध्यस्थता सम्बन्धी करार ऐसे रूप में होगा तथा सम्बद्ध पक्षों द्वारा ऐसी रीति से हस्ताक्षरित होगा जो नियत की जाय ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 की धारा 5 (2) निकाली गयी और खण्ड (3) को खण्ड (2) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 धारा 6 द्वारा धारायें 5–क से 5–ङ तक जोड़ी गई ।

(3) मध्यस्थता सम्बन्धी करार की एक–एक प्रति राज्य सरकार, सम्बन्धित समझौता अधिकारी तथा श्रम कमिश्नर को अग्रसारित की जायगी तथा राज्य सरकार ऐसी प्रति के प्राप्त होने के चौदह दिन के भीतर उसे सरकारी गजट में प्रकाशित करेगी ।

(4) मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ–गण झगड़े की छानबीन करेंगे तथा यथास्थिति मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित मध्यस्थ निर्णय राज्य सरकार के पास प्रस्तुत करेंगे।

(5) आर्बिट्रेशन ऐक्ट, 1940 की कोई भी बात इस धारा के अधीन मध्यस्थ निर्णय पर लागू न होगी । **ऐक्ट संख्या 10, 1940**

बोर्डों, श्रम न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों की प्रक्रिया तथा उनके अधिकार

5–ग– (1)उन नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस सम्बन्ध में बनाए जाये, कोई भी मध्यस्थ श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण ऐसी प्रक्रिया (procedure) का अनुसरण करेंगे जिसे मध्यस्थ अथवा श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण उचित समझे ।

(2) श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण का कोई पीठासीन अधिकारी किसी विद्यमान अथवा आशंकित औद्योगिक झगड़े की जांच के प्रयोजन से उचित नोटिस दे देने के पश्चात् किसी ऐसी संस्था (establishment) द्वारा अध्यासित भू–गृहादि में प्रवेश कर सकता है जिससे कि झगड़ा सम्बद्ध हो ।

(3) प्रत्येक बोर्ड, श्रम न्यायालय तथा न्यायाधिकरण को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी मुकदमें का परीक्षण करते समय वही अधिकार प्राप्त होंगे जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित रहते है, यथा –– **ऐक्ट संख्या 5, 1908**

(क) किसी व्यक्ति की उपस्थिति प्राप्त करना तथा उसे शपथ दिला कर अथवा प्रतिज्ञान अथवा अन्य किसी प्रकार उसका परीक्षण करना ;

(ख) लेख्यों तथा स्थूल वस्तुओं (material objects) को प्राप्त करने तथा उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना ;

(घ) किसी झगड़े से सम्बद्ध संपत्ति अथवा किसी वस्तु का, जिसके अन्तर्गत मशीनें भी है, निरीक्षण करना, तथा

(ङ) अन्य ऐसे विषय जो नियत किए जायं,

तथा किसी भी श्रम न्यायालय अथवा न्याधिकरण द्वारा की गई प्रत्येक जाँच या अनुसंधान इंडियन पेनल कोड की धारा 193 तथा 228 के प्रयोजनों के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही (judicial proceeding) समझी जायगी । **ऐक्ट संख्या 45, 1860**

समझौता अधिकारी का अधिकार

5–घ– (1) कोई समझौता अधिकारी किसी भी ऐसे लेख्य को मंगा सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है जिसे वह किन्हीं कारणों के आधार पर औद्योगिक झगड़ें से सुसंगत समझता हो अथवा जिसकों वह किसी पंचनिर्णय का परिपालन (implementation) सत्यापित करने अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने किसी अन्य कर्त्तव्य को पूरा करने के निमित्त आवश्यक सममझता है और उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए समझौता अधिकारी को वही अधिकर होंगे जो कि कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के अन्तर्गत लेख्यों (documents) को अपने समक्ष प्रस्तुत कराने के विषय में किसी दीवानी न्यायालय में निहित होते है ।

(2) कोई समझौता अधिकारी किसी भी विद्यामन अथवा आशंकित झगड़े की जांच करने के प्रयोजन से उचित (reasonable) नोटिस देने के पश्चात् किसी भी संस्था द्वारा अध्यासित किसी भू–गृहादि मे ंप्रवेश कर सकता है ।

5–ङ–इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए किसी मध्यस्थ अथवा श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही का व्यय अथवा आनुषंगिक व्यय, मध्यस्थ, श्रम न्यायालय अथवा न्यायधिकरण के विवेकाधीन होगा तथा मध्यस्थ, श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण, जैसी भी दशा हो, को पूर्ण अधिकार होगा कि वह अवधाारित करें कि किसके द्वारा और जिसको और किस सीमा तक और किन प्रतिबन्धों के अधीन, यदि कोई हों, ऐसा व्यय अदा किया जाय तथा उसे उपर्युक्त प्रयोजन के निमित्त समस्त आदेश देने का अधिकार होगा तथा ऐसे व्यय, व्यय पाने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को प्रार्थना–पत्र दिए जाने पर माल–गुजारी की बकाया की भांति वसूल किए जा सकेंगे।][1]

व्यय का प्रदान

[2] **[6**–(1) जब कोई भी औद्योगिक झगड़ा किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पास निर्णयार्थ भेजा जाय तो वह उन पर शीघ्रता के साथ कार्यवाही करेगा और उसकी समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार के पास पंचनिर्णय प्रस्तुत करेगा।

पंचनिर्णय तथा उन पर की जाने वाली कार्यवाही

(2) श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण का पंचनिर्णय लिखित होगा और उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

[3][(2–क) किसी मजदूर की सेवोन्मुक्ति या पदच्युति से सम्बन्धित औद्योगिक झगड़े के पंचनिर्णय में सेवोनमुक्ति या पदच्युति को अपास्त करने का और मजदूर को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, यदि कोई हों, जिसे पंचनिर्णय देने वाला प्राधिकारी उचित समझे, बहाल करने का या मजदूर को ऐसा अन्य अनुतोष दिये जाने का जिसमें सेवोन्मुक्ति या पदच्युति के बजाय मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार कोई हल्का दण्ड देना सम्मिलित है, निदेश दिया जा सकता है ।]

(3) उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक मध्यस्थ निर्णय तथा श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण का पंचनिर्णय राज्य सरकार के पास पहुंचने के तीस दिन के भीतर ऐसी रीति से प्रकाशित किया जायगा, जिसे राज्य सरकार उचित समझे ।

[4][(4) उपधारा (3) के अधीन श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के पंचनिर्णय के प्रकाशन के पूर्व, यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ––

(क) निर्णायक प्राधिकारी ने किसी पक्ष को बिना समुचित कारण के साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञा देने से इन्कार कर दिया है, या

(ख) कोई पक्ष किसी अन्य पर्याप्त कारण से साक्ष्य नही दे सका था, या

(ग) कोई ऐसा नया और महत्वपूर्ण सारवान तथ्य या साक्ष्य सूचना में आया है जो सम्यक् तत्परता बरतने के पश्चात् भी, उस समय जब पंचनिर्णय किया गया था, पक्ष की जानकारी में न था या उसके द्वारा पेश न किया जा सका था, या

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 की धारा 6 द्वारा धारायें 5.क से 5.ङ तक जोड़ी गयी ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 34, 1978 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 03, 1991 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) पंचनिर्णय से औद्योगिक शान्ति मे ंविघ्न पड़ने की सम्भावना है, या

(ङ) पंचनिर्णय से राष्ट्रीय या राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, या

(च) पंचनिर्णय से सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों में व्यतिक्रम होने की सम्भावना है, या

(छ) पंचनिर्णय में न्याय निर्णायन के लिए निर्दिष्ट किन्हीं मामलों का अवधारण नहीं हुआ है या जहाँ वह ऐसे किसी मामले का अवधारण करता है जो न्याय निर्णायन के लिए निर्दिष्ट न किया गया हो और ऐसे मामले को निर्दिष्ट किये गये मामलों के अवधारण पर प्रभाव डाले बिना पृथक नही किया जा सकता है, या

(ज) पंचनिर्णय इतना अनिश्चित है कि उसे लागू नही किया जा सकता है, या

(झ) पंचनिर्णय की अवैधता उसके देखने से ही प्रकट होती है, तो वह पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, पंचनिर्णय को निर्णायक प्राधिकारी के पास पुनर्विचारार्थ प्रेषित कर सकती है और वह प्राधिकारी पुनर्विचार के पश्चात् अपना पंचनिर्णय राज्य सरकार के पास प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार उस पंचनिर्णय को उपधारा (3) में दी गई रीति से प्रकाशित करेगी।][1]

(5) धारा 6–क के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित पंचनिर्णय अन्तिम होगा और उस पर किसी भी न्यायालय में किसी भी रीति से आपत्ति न की जा सकेगी।

(6) श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा मध्यस्थ, स्वतः या झगड़े से सम्बद्ध किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र दिए जाने पर पंचनिर्णय की किसी भी लिपिक अथवा गणना की अशुद्धि को अथवा किसी भी आकस्मिक त्रुटि अथवा चूक के कारण हुई किसी गलती को ठीक कर सकता है। जब उपर्युक्त प्रकार से कोई गलती ठीक की जाय तो आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार के पास भेजी जायगी तथा पंचनिर्णय के प्रकाशन सम्बन्धी इस अधिनियम के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उस पर लागू होंगे ।

पंचनिर्णय का प्रारम्भ

6–क–(1) कोई भी पंचनिर्णय (जिसके अन्तर्गत मध्यस्थ निर्णय भी है) धारा 6 के अधीन उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन पूरे होने पर प्रवर्तनीय हो जायगा ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की राय में [2][राष्ट्रीय अथवा राज्य की अर्थ–व्यवस्था अथवा सामाजिक न्याय पर प्रभाव डालने वाले सार्वजनिक कारणों से] सम्पूर्ण पंचनिर्णय अथवा उसके किसी अंश को कार्यान्वित करना इष्टकर न हो तो राज्य सरकार सरकारी गजट मे विज्ञप्ति प्रकाशित करके घोषित कर सकती है कि पंचनिर्णय उपर्युक्त तीस दिन की अवधि बीत जीने पर प्रवर्तनीय नहीं होगा :

और प्रतिबन्ध यह भी है कि मध्यस्थ–निर्णय तब भी प्रवर्तनीय न होगा जब राज्य सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, यह समाधान हो जाय कि वह कपट संधि, धोखा अथवा मिथ्या व्यपदेशन (collusion, fraud or misrepresentaiton) के आधार पर दिया गया अथवा प्राप्त किया गया है ।

(2) जब उपधारा (1) के प्रथम प्रतिबन्धक (proviso) के अधीन किसी पंचनिर्णय के सम्बन्ध में कोई घोषणा की जाय तो राज्य सरकार धारा 6 के अधीन पंचनिर्णय के

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1991 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 23, 1957 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्रकाशन के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर पंचनिर्णय को अस्वीकृत अथवा परिष्कृत करते हुए एक आज्ञा जारी कर सकती है तथा प्रथम उपलब्ध अवसर पर आज्ञा की एक प्रति सहित पंचनिर्णय की प्रति राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखेगी ।

(3) जब उपधारा (2) के अधीन दी गई आज्ञा द्वारा अस्वीकृत अथवा परिष्कृत कोई भी पंचनिर्णय राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाय तो विधान मण्डल मे उसके रखे जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन व्यतीत हो जाने पर, वह पंचनिर्णय प्रवर्तनीय हो जायगा और जब उपधारा (1) के प्रथम प्रतिबन्धक के अधीन घोषणा के अनुसार उपधारा (2) के अधीन कोई आज्ञा न दी गई हो तो उपधारा (2) में अभिदिष्ट नब्बे दिन की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् पंचनिर्णय प्रवर्तनीय होगा ।

(4) पंचनिर्णय की प्रवर्तनीयता के सम्बन्ध मे उपधारा (1) तथा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पंचनिर्णय ऐसे दिनांक से कार्यान्वित होगा जो उसमें निदिष्ट की जाय किन्तु जब कोई भी दिनांक निदिष्ट न हो तब पंचनिर्णय उस दिनांक से कार्यान्वित होगा जब यथास्थिति उपधारा (1) अथवा उपधारा (3) के अधीन वह प्रवर्तनीय हो जाय ।]

समझौते की कार्यवाहियों के बाहर निपटारा

[1] **[6–ख–** (1) समझौता कार्यावाहियों के दौरान से भिन्न दशा में मालिक और मजदूरों में करार द्वारा किया गया कोई भी निपटारा, सिवाय उपधारा (4) में दी हुई अवस्था के, करार के पक्षों पर बन्धनकारी होगा ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसे निपटारे में, उसके लागू रहने की कोई अवधि न दी हुई हो, तो वह निपटारा पंजीयन की तिथि से एक साल तक लागू रहेगा ।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित निपटारा हो जाने के पश्चात् तुरन्त ही निपटारे के पक्ष अथवा उनमें से कोई सम्बद्ध क्षेत्र के समझौता अधिकारी के पास नियत रीति से निपटारे के पंजीयन (regsitration) के लिए प्रार्थना–पत्र दे सकता है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन पंजीयन का प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर समझौता अधिकारी, अथवा राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ विज्ञापित कोई भी अन्य प्राधिकारी या तो (1) नियत रीति से निपटारे को पंजीबद्ध करेगा, या (2) यदि वह सामाजिक न्याय पर प्रभाव डालने वाले सार्वजनिक कारणों से, अथवा इस कारण कि निपटारा कपट संधि, धोखा अथवा मिथ्याव्यपदेशन के आधार पर हुआ है निपटारे को पंजीबद्ध करना अनुपयुक्त (inexpedient) समझता है तो वह उसे पंजीबद्ध करने से इन्कार कर देगा ।

(4) जब उपधारा (1) के अधीन निपटारे का पंजीयन अस्वीकृत कर दिया गया हो तब वह इस अधिनियम के अधीन बन्धककारी न रह जाएगा ।

श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा मध्यस्थ का निर्णय तथा उसकी कार्यान्विति

[1]**[6–ग–** कोई भी निर्णय प्रथमतः एक वर्ष तक अथवा ऐसी लघुतर अवधि के लिये जो, उसमें निर्दिष्ट हो कार्यान्वित रहेगा ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार समय–समय पर निर्णय की कार्यान्विति की अवधि बढ़ा सकती है यदि यह ऐसा करना उचित समझे।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 की धारा 8 द्वारा धारायें 6–ख से 6–द तक बढ़ायी गयी ।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि जब राज्य सरकार स्वतः अथवा निर्णय से आबद्ध किसी पक्ष के प्रार्थना–पत्र पर यह समझे कि निर्णय हो चुकने के बाद से उन परिस्थितियों में जिन पर वह आधारित था सारवान परिवर्तन हुआ है, तो राज्य सरकार ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे निर्णय की कार्यान्विति की अवधि को कम कर सकती है।

कार्यवाहियों का आरम्भ तथा उनकी समाप्ति

6–घ–किसी भी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियाँ उस दिनांक पर आरम्भ हुई समझी जायेगी, जिस पर झगड़ा निर्णयार्थ उन्हें भेजा गया हो तथा ऐसी कार्यवाहियाँ उस दिनांक को समाप्त समझी जायेगी, जिस पर धारा 6–क के अधीन पंचनिर्णय प्रवर्तनीय होता हो ।

कार्यवाहियों के विचाराधीन रहने के दौरान में कुछ परिस्थितियों में सेवा की शर्तो इत्यादि का अपरिवर्तनीय रहना

6–ङ–(1) किसी भी औद्योगिक झगड़े के विषय में किसी समझौता अधिकारी अथवा बोर्ड के समक्ष समझौते संबंधी किसी कार्यवाही, अथवा किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के, विचाराधीन रहने के दौरान में कोई भी मालिक––

(क) झगड़े से सम्बद्ध किसी विषय में, ऐसी कार्यवाही के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व मजदूरों पर लागू सेवा की शर्तों में ऐसे झगड़े से सम्बद्ध मजदूरों के हितों के प्रतिकूल कोई परिवर्तन न करेगा, अथवा

(ख) झगड़े से सम्बद्ध किसी दुर्व्यवहार के लिये उक्त झगड़े से सम्बद्ध किसी मजदूर को बरखास्तगी द्वारा या अन्य किसी प्रकार से दंडित अथवा सेवा मुक्त (discharge) न करेगा,

सिवाय उस दशा के जब कि एतदर्थ उस प्राधिकारी की, जिसके समक्ष कार्यवाही विचाराधीन हो, लिखित रूप से स्पष्ट अनुमति न मिल गई हो ।

(2) किसी औद्योगिक झगड़े के सम्बन्ध में ऐसी किसी कार्यवाही के विचाराधीन रहने के दौरान मे ऐसे झगड़ें से सम्बद्ध किसी मजदूर पर लागू स्थायी आदेशों के अनुसार, मालिक ––

(क) झगड़े से असम्बद्ध किसी विषय मे ऐसी कार्यवाही आरम्भ होने से तत्काल पूर्व मजदूर पर लागू सेवा की शर्तों मे परिवर्तन कर सकता है, अथवा

(ख) झगड़े से असम्बद्ध किसी भी दुर्व्यवहार के निमित्त उस मजदूर को बरखास्तगी द्वारा या अन्य किसी प्रकार से सेवा मुक्त अथवा दंडित कर सकता है ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई भी मजदूर तब तक सेवा मुक्त अथवा बरखास्त न किया जायगा, जब तक कि उसे एक महीने की मजदूरी न दे दी जाय तथा मालिक द्वारा उस प्राधिकारी को जिसके समक्ष मालिक द्वारा किये गये कार्य के अनुमोदन के लिये कार्यवाही विचाराधीन हो, एक प्रार्थना–पत्र न दे दिया जाय ।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी कोई भी मालिक औद्योगिक झगड़े के सम्बन्ध में विचाराधीन ऐसी किसी कार्यवाही के दौरान मे ऐसे झगड़े से सम्बद्ध किसी संरक्षित मजदूर (protected workman) के विरूद्ध ––

(क) ऐसी कार्यवाही के प्रारम्भ से ठीक पूर्व ऐसे संरक्षित मजदूर पर लागू होने वाली सेवा को शर्तो में, उसके हितों के प्रतिकूल, परिवर्तन की, अथवा][1]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1957 की धारा 8 द्वारा जोड़ा गया।

(ख) ऐसे संरक्षित मजदूर को बरखास्तगी या अन्य किसी प्रकार से दण्ड दे कर अथवा उन्मुक्त करने की, कार्यवाही नही करेगा जब तक कि उस प्राधिकारी की जिसके समक्ष कार्यवाही विचाराधीन हो लिखित स्पष्ट अनुज्ञा प्राप्त न हो जाय ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के निमित्त किसी संस्था के सम्बन्ध मे "संरक्षित मजदूर" से तात्पर्य है, ऐसा मजदूर जो उस संस्था से सम्बद्ध रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का अधिकारी हो और इस सम्बन्ध मे बने हुए नियमों के अनुसार इस प्रकार अभिज्ञात हो ।

(4) प्रत्येक संस्था में उन मजदूरों की संख्या जो उपधारा (3) के प्रयोजनों के निमित्त संरक्षित मजदूर अभिज्ञात किये जायेंगे, कुल नियुक्त मजदूरों की संख्या के एक प्रतिशत से अधिक न होगी किन्तु कम से कम यह संख्या पांच होगी और अधिकाधिक एक सौ होगी तथा उपर्युक्त प्रयोजन के निमित्त राज्य सरकार संस्था से संबद्ध विभिन्न ट्रेड यूनियनों में, यदि कोई हों, संरक्षित मजदूरों के वितरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में तथा रीति, जिसके अनुसार वे चुने जायेंगे तथा संरक्षित मजदूरों के रूप में अभिज्ञात होंगे, नियम बना सकती है ।

(5) जब कोई मालिक उपधारा (2) के प्रतिबन्ध के अधीन बोर्ड, श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के पास अपने द्वारा की गई कार्यवाही की स्वीकृति के लिए प्रार्थना–पत्र दे तो सम्बद्ध प्राधिकारी अविलम्ब ऐसे प्रार्थना–पत्र की यथा संभव शीघ्रता से सुनवाई करेगा और तद्विषयक ऐसी आज्ञा पारित करेगा, जिसे वह उचित समझे ।

कार्यवाहियों के विचारकाल में सेवा आदि के प्रतिबन्धों में परिवर्तन के संबंध में निर्णय के निमित्त विशेष व्यवस्था

6–च– जब किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के विचार काल में कोई मालिक धारा 6–ड़ के उपबंधों का उल्लंघन करे तब ऐसे उल्लंघन से क्षुब्ध कोई भी मजदूर श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पास जैसी भी दशा हों, लिखित रूप से परिवाद प्रस्तुत कर सकता है तथा इस परिवाद की प्राप्ति पर श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण, जैसी भी दशा हो, उस परिवाद पर इस प्रकार विचार करेगा मानों कि वह इस अधिनियम के अधीन उसके पास अभिदिष्ट अथवा उसके समक्ष विचाराधीन झगड़ा हो तथा वह अपना पंचनिर्णय राज्य सरकार के पास प्रस्तुत करेगा और इस अधिनियम के उपबंध उस पर तद्नुसार लागू होंगे ।

कुछ कार्यवाहियों को संक्रामित करने का अधिकार

6–छ– [1][(1) राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा उसमें उल्लिखित कारणों से, किसी कार्यवाही को, ––

(i) किसी श्रम न्यायालय से वापस ले सकती है और उसे निस्तारणार्थ किसी अन्य श्रम न्यायालय या किसी न्यायाधिकरण के संक्रामित कर सकती है;

(ii) किसी न्यायाधिकरण से वापस ले सकती है और उसे निस्तारणर्थ किसी अन्य न्यायाधिकरण को या यदि झगड़ा श्रम न्यायालय की अधिकारिता में हो तो किसी श्रम न्यायालय को संक्रामित कर सकती है, और वह श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण जिसे कार्यवाही इस प्रकार संक्रामित की जाय, संक्रामण आज्ञा में उल्लिखित किसी विशेष निदेश के अधीन रहते हुए, या तो नये सिरे से या उस चरण से जिस पर कार्यवाही इस प्रकार संक्रामित की गई थी, कार्यवाही कर सकता है ।]

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब धारा 6–ड़ अथवा धारा 6–च के अधीन कोई कार्यवाही किसी न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो तो वह कार्यवाही श्रम न्यायालय को भी संक्रामित की जा सकती है ।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 34, 1978 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, कोई भी न्यायाधिकरण, यदि राज्य सरकार ने उसे इस प्रकार प्राधिकृत किया हो, तो धारा 6–च अथवा 6–ड़ के अधीन अपने समक्ष विचाराधीन किसी कार्यवाही को ऐसी कार्यवाहियों के निस्तारण के लिये राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञापित करके ऐसी कार्यवाहीयों के लिये निर्दिष्ट श्रम न्यायालयों में से किसी को संक्रामित कर सकती है तथा वह श्रम न्यायालय, जिसे इस प्रकार कार्यवाही संक्रामित की गयी हो, उसे निस्तारित करेगा ।

मालिक द्वारा देय धनराशि की वसूली उ० प्र० अधिनियम सं० 1, 1957

6–ज– [1][(1) जब किसी मालिक द्वारा धारा 6–ञ से 6–द के उपबन्धों के अधीन, अथवा किसी निपटारे अथवा पंच–निर्णय के अधीन, अथवा इस ऐक्ट के अधीन नियुक्त या संघटित पंच–निर्णायक (Adjudicator) या राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण (State Industrial Tribunal) द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1956 के प्रारम्भ से पूर्व दिये गये पंच–निर्णय के अधीन, कोई धनराशि किसी मजदूर को देय हो, तो वसूली के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुए मजदूर राज्य सरकार के पास धनराशि की वसूली के लिए प्रार्थना–पत्र दे सकता है और यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसी कोई धनराशि देय है तो राज्य सरकार उस धनराशि का प्रामण–पत्र कलेक्टर को दे देगी जो उसे उसी प्रकार वसूल करने की कार्यवाही करेगा, मानों कि वह मालगुजारी की बकाया हो।]

(2) जब कोई मजदूर मालिक से कोई ऐसा लाभ पाने का अधिकारी हो जो धनराशि के रूप में आकलित हो सकता हो तो ऐसी धनराशि, जो लाभ के आधार पर आकलनीय हो, उन नियमों के अधीन रहते हुये, जो इस संबंध में इस अधिनियम के अधीन बनाये जायं, ऐसे श्रम न्यायालय द्वारा, जिसे राज्य सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट करे अवधारित की जायेगी, तथा इस प्रकार अवधारित धनराशि उसी रीति से वसूल की जायेगी, जिसकी व्यवस्था उपधारा (1) में की गई है ।

(3) किसी भी लाभ की धनराशि का आकलन करने के प्रयोजन से श्रम न्यायालय, यदि वह उचित समझे, नियत रीति से एक आयुक्त नियुक्त करेगा, जो ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात्, जो आवश्यक हो, श्रम न्यायालय के समक्ष आख्या प्रस्तुत करेगा तथा श्रम न्यायालय आयुक्त की आख्या पर तथा मामले की अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् इस धनराशि का अवधारण करेगा ।

पक्षों का प्रतिनिधित्व

6–झ– (1) उपधारा (2) तथा (3) के अधीन रहते हुए किसी औद्योगिक झगड़े के पक्ष किसी बोर्ड, श्रम, न्यायालय, अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष नियत रीति से प्रतिनिधित्व पा सकेंगे ।

(2) किसी बोर्ड के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही का कोई भी पक्ष वकील द्वारा प्रतिनिधायित नही हो सकेगा तथा किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही से संबद्ध कोई पक्ष तब तक वकील द्वारा प्रतिनिधायित न हो सकेगा, जब तक वह विरोधी पक्ष की, तथा श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी की, जैसी भी दशा हो, अनुमति न प्राप्त कर ले ।

ऐक्ट संख्या 16, 1926

[2][(3) किसी यूनियन का कोई अधिकारी तब तक किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत न होगा जब तक कि इंडियन ट्रेड यूनियन्स ऐक्ट, 1926 के अधीन यूनियन की रजिस्ट्री हुए दो वर्ष न हो गये हों तथा यूनियन एक ही व्यवसाय के लिये रजिस्टर्ड न हुआ हो ;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1957 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1957 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यूनियन के किसी फेडरेशन का कोई अधिकारी ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन, जो निर्धारित किये जाये, किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकता है।][1]

कुछ दशाओं में कामबन्दी की व्यवस्था का लागू होना

6–ञ– (1) धारा 6–ट से 6–ड (जिसमें दोनो सम्मिलित हैं) तक सभी धारायें ––

(क) उस औद्योगिक संस्था पर जिसमें पूर्वगामी कलेन्डर मास में औसतन 50 से कम मजदूर नियुक्त रहे हों, अथवा

(ख) उन औद्योगिक संस्थाओं पर जो समय विशेष मे कार्य करती हों अथवा जहां सविराम रूप (intermittently) कार्य होता हो, लागू नही होगी ।

(2) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई भी औद्योगिक संस्था मौसमी है अथवा वहां सविराम रूप से कार्य होता है तो इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

स्पष्टीकरण––इस धारा में तथा धारा 6–ट, 6–ठ और 6–ड में शब्द "औद्योगिक संस्था" से तात्पर्य है ––

(1) फैक्टरीज ऐक्ट, 1948 की धारा 2 के खंड (एम) में परिभाषित फैक्टरी, अथवा **ऐक्ट संख्या 63, 1948**

(2) माइन्स ऐक्ट, 1952 की धारा 2 के खण्ड (जे) मे परिभाषित माइन (खान), अथवा **ऐक्ट संख्या 25, 1952**

(3) प्लान्टेशन लेबर ऐक्ट, 1951 की धारा 2 के खण्ड (एफ) में परिभाषित प्लान्टेशन । **ऐक्ट संख्या 69, 1951**

कामबन्दी पर रहे (laid-off) मजदूरों का प्रतिकर का अधिकार

6–ट–(1) जब कभी कोई मजदूर (प्रतिस्थानीय अथवा आकस्मिक मजदूर से भिन्न), जिसका नाम औद्योगिक संस्था की उपस्थिति नामावली में हो और जिसने मालिक की अधीनता में कम से कम एक वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण की हो, कामबन्दी पर रहे तो उसे मालिक द्वारा बीच मे पड़ने वाले साप्ताहिक अवकाशों को छोड़ कर उन समस्त दिनों के लिये, जिसमें वह इस प्रकार कामबन्दी पर रहे, प्रतिकर दिया जायगा जो महंगाई के भत्ते सहित उसके उस मूल वेतन के पचास प्रतिशत के समकक्ष होगा, जो उसे देय होता यदि वह कामबन्दी पर न हुआ होता :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बारह महीनों की अवधि मे किसी भी मजदूर को देय प्रतिकर पैतालिस दिन से अधिक का नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रतिबन्धक में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी भी बारह महीनों की अवधि में कोई मजदूर पैतालिस दिन से अधिक की अवधि के लिये अविरामतः अथवा सविरामतः कामबन्दी पर रहे तथा प्रथम पैतालिस दिन की अवधि के पश्चात् की कामबन्दी एक सप्ताह या अधिक की हो, तो उस मजदूर को, जब तक कि उसके और मालिक के बीच कोई विपरीत करार न हुआ हो, पश्चात्वर्ती एक सप्ताह अथवा उससे अधिक की कामबन्दी के निमित्त उपधारा (1) मे निर्दिष्ट दर से प्रतिकर दिया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन पड़ने वाले किसी मामले मे किसी भी मालिक के लिये यह वैध होगा कि कामबन्दी के प्रथम पैतालिस दिनों की समाप्ति के पश्चात् धारा 6–ढ में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार किसी भी समय मजदूर

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1957 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

की छंटनी कर दे और जब वह ऐसा करे तो कामबन्दी के निमित्त पूर्वगामी बारह महीनों में मजदूर को दिया हुआ प्रतिकर छटनी के निमित्त दिये जाने वाले प्रतिकर में से गुजारा किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण— "प्रतिस्थानीय मजदूर" से तात्पर्य है ऐसा मजदूर जो किसी औद्योगिक संस्था के किसी उस मजदूर के स्थान पर जिसका नाम, संस्था की उपस्थिति नामावली में दर्ज हो, नियुक्त हुआ हो, किन्तु इस धारा के प्रयोजनों के निमित्त वह प्रतिस्थानीय मजदूर न माना जायगा यदि उसने उस संस्था में एक वर्ष की अनवरत सेवा कर ली हो ।

प्रत्येक मालिक का कर्त्तव्य होगा कि वह मजदूरों की उपस्थिति नामावली कायम रक्खे

6–ठ– इस बात के होते हुए भी, कि किसी औद्योगिक संस्था के मजदूर कामबन्दी पर रखे जा चुके हैं, प्रत्येक मालिक का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा 6–ञ से 6–द तक के प्रयोजनों के निमित्त उपस्थिति नामावली रक्खे तथा उन मजदूरों के लिये, जो सामान्य कार्य के घंटों मे ंनिश्चित समय पर संस्था मे ंकाम करने के लिये उपस्थित हों, उस उपस्थिति नामावली में इन्दराज करने की व्यवस्था करें ।

कुछ मामलों में मजदूर प्रतिकर के अधिकारी न होंगे

6–ड– कोई भी वह मजदूर, जो कामबन्दी पर रहा हो, प्रतिकर पाने का अधिकारी न होगा ––

(1) यदि वह उसी संस्था में, जहां वह कामबन्दी पर रहा हो, वैकल्पिक कार्य स्वीकार न करे अथवा उसी मालिक के उसी नगर, गांव अथवा उस संस्था से पांच मील के अर्द्धव्यास में स्थित दूसरी संस्था में ऐसा वैकल्पिक काम करने से इंकार कर दे जिसमें मालिक के मतानुसार किसी विशेष कुशलता अथवा पूर्व अनुभव की अपेक्षा न हो अथवा जो उस मजदूर द्वारा किया जा सकता हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस मजदूर को इस वैकल्पिक काम में वही वेतन दिया जाय जो सामान्यतः उसे मिला होता ;

(2) यदि वह निश्चित समय पर सामान्य काम के घंटों में कम से कम दिन में एक बार संस्था में काम करने के लिये उपस्थित न हो ;

(3) यदि ऐसी कामबन्दी संस्था के किसी अन्य भाग मे ंमजदूरों द्वारा की गई हड़ताल अथवा उत्पादन के शिथिलीकरण के फलस्वरूप हों ।

मजदूरों को छंटनी से पूर्व के प्रतिबन्ध

6–ढ– किसी उद्योग मे नियुक्त किसी मजदूर की, जो किसी मालिक की अधीनता मे ंएक वर्ष तक अनवतर सेवा कर चुका हो, मालिक द्वारा तब तक छटनी नही की जायगी जब तक कि ––

(क) मजदूर को एक महीने की लिखित नोटिस, जिसमें छटनी के कारण उल्लिखित होंगे, न दे दी गयी हो तथा नोटिस की अवधि न व्यतीत हो गयी हो, अथवा मजदूर को ऐसी नोटिस के उपलक्ष में नोटिस की अवधि का वेतन न दे दिया गया हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब वह छटनी किसी ऐसे करार के अधीन हो जिसमें सेवा के अवसान का दिनांक निर्दिष्ट किया जा चुका हो तो इस प्रकार की नोटिस आवश्यक न होगी ।

(ख) मजदूर की छटनी के समय प्रतिकर न दे दिया गया हो जो सेवा के प्रत्येक वर्ष के 6 महीने से अधिक भाग के लिये पन्द्रह दिन के औसत वेतन के समकक्ष हो ; तथा

(ग) राज्य सरकार पर नियत रीति से नोटिस तामील कर दी गयी हो ।

उन व्यवसायों में नियुक्त मजदूरों के संबंध में, जो संक्रामित हो, विशेष व्यवस्थाएं

6–ण– धारा 6–ढ में किसी बात के होते हुए भी कोई भी मजदूर उस धारा के अधीन केवल इसी कारण प्रतिकर पाने का अधिकारी न होगा कि उस संस्था का स्वामित्व अथवा प्रबन्धक वर्ग, चाहे करार के फलस्वरूप, चाहे विधि प्रवर्तनवश एक मालिक से दूसरे मालिक को संक्रामित हो गया हो ;

किन्तु प्रतिबनध यह है कि ––

(क) इस संक्रमण के फलस्वरूप मजदूर की सेवा में कोई विघ्न न पड़ा हो,

(ख) ऐसे संक्रमण के पश्चात् मजदूर पर लागू सेवा की शर्तें और प्रतिबन्ध संक्रमण से तत्काल पूर्व मजदूर पर लागू सेवा की शर्तों और प्रतिबन्धों से किसी भी प्रकार कम लाभकर न हों, तथा

(ग) वह मालिक जिसे व्यवसाय का स्वामित्व अथवा प्रबन्ध संक्रामित हुआ हो, संक्रमण के प्रतिबन्धों के अधीन अथवा अन्य किसी प्रकार से, मजदूर को छंटनी होने की दशा में उसकी सेवा अविराम तथा संक्रमण द्वारा बाधाग्रस्त न होने के आधार पर प्रतिकर का वैधरूपेण देनदार हो ।

छटनी की प्रक्रिया

6–त–जब किसी औद्योगिक संस्था के किसी मजदूर की जो भारत का नागरिक हो, छटनी करनी हो और वह उस संस्था में मजदूरों की किसी विशेष श्रेणी में हो, तो मालिक अपने तथा मजदूर के मध्य इस संबंध मे ंकिसी करार के अभाव में साधारणतया उस मजदूर की ही छटनी करेगा जो उस श्रेणी में सब से आखिर मे नियुक्त हुआ हो जब तक कि मालिक ऐसे कारणों वश, जिन्हें वह अभिलिखित करेगा, अन्य किसी मजदूर की छटनी न कर दे ।

छटनी किये गये मजदूरों की पुनर्नियुक्ति

6–थ–जब किन्हीं मजदूरों की छटनी की गयी हो, तथा मालिक किसी व्यक्ति को अपने पास नियुक्त करने का प्रस्ताव करे तो वह ऐसी रीति से, जो निर्दिष्ट की जाय, छटनी किये गये मजदूरों को उनकी पुनर्नियुक्ति के लिये अवसर देगा तथा छटनी किये गये मजदूरों को, जो अपने की पुनर्नियुक्त कराना चाहें, अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिमान मिलेगा ।

6–ञ से 6–थ तक धाराओं से असंगत विधियों का प्रभाव ऐक्ट संख्या 20, 1946

ऐक्ट संख्या 11, 1948

6–द–(1) 6–ञ से लेकर 6–थ तक की धाराओं के उपबन्ध किसी अन्य विधि में, जिसके अन्तर्गत इण्डस्ट्रियल इम्प्लायमेन्ट (स्टैन्डिंग आर्डर्स) ऐक्ट, 1946 के अधीन स्थायी आदेश भी है, कोई असंगत (inconsistent) बात होते हुए भी प्रभावी होंगे ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम में उल्लिखित किसी बात का यह प्रभाव नहीं होगा कि वह किसी भी मजदूर को किसी ऐसे अधिकार से वंचित रक्खे, जो उसे मिनिमम वेजेज ऐक्ट, 1948 अथवा तदन्तर्गत प्रचारित किसी विज्ञप्ति अथवा आज्ञा के अधीन अथवा मालिक के साथ तत्समय क्रियाशील (in operation) किसी पंचनिर्णय अथवा संविदा के अधीन उसे उपलब्ध हो ।

(2) सन्देहों के निवारणार्थ एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि धारा 6–ञ से 6–द तक में उल्लिखित कोई भी बात तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के उपबन्धों पर उस सीमा तक प्रभाव न डालेगी जहां तक उस विधि में औद्योगिक झगड़ों को निपटाने की

व्यवस्था की गयी हो, किन्तु मालिकों और मजदूरों के अधिकार और दायित्व, जहाँ तक की उनका संबंध कामबन्दी (lay-off) तथा छटनी से हो, धारा 6–ञ से 6–थ तक के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किये जायेंगे।][1]

प्राविधिक हड़तालों तथा द्वारा अवरोधों का निषेध

[2][**6–ध–** (1) किसी औद्योगिक संस्था में नियुक्त कोई व्यक्ति ;

(क) हड़ताल करने के पूर्व तीस दिन के भीतर मालिक को हड़ताल का नोटिस दिये बिना ; अथवा

(ख) ऐसी नोटिस दिये जाने के चौदह दिन के भीतर ; अथवा

(ग) ऐसी किसी नोटिस में निर्दिष्ट हड़ताल के दिनांक की समाप्ति के पूर्व ; अथवा

(घ) किसी समझौता अधिकारी या बोर्ड के समक्ष समझौते की किसी कार्यवाही के विचाराधीन होने के दौरान में तथा ऐसी कार्यवाही की समाप्ति से तीस दिन के उपरान्त तक, यदि वह व्यक्ति उस औद्योगिक झगड़े से संबंधित है जो उस कार्यवाही का विषय है ; अथवा

(ङ) किसी श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के प्रारम्भ से लेकर उसकी समाप्ति तक के काल में, यदि वह व्यक्ति उस औद्योगिक झगड़ें से संबंधित है जो उस कार्यवाही का विषय है ; अथवा

(च) ऐसे काल मे जब कि कोई समझौता अथवा पंचनिर्णय लागू है तो उस समझौते अथवा पंचनिर्णय के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले पर, हड़ताल न करेगा ।

(2) कोई भी मालिक अपने किसी मजदूर को ––

(क) द्वारावरोध करने के पूर्व तीस दिन के भीतर उसे द्वारावरोध की नोटिस दिये बिना ; अथवा

(ख) ऐसी नोटिस दिये जाने के चौदह दिन के भीतर ; अथवा

(ग) ऐसी किसी नोटिस में निर्दिष्ट द्वारावरोध के दिनांक की समाप्ति के पूर्व ; अथवा

(घ) किसी समझौता अधिकारी या बोर्ड के समक्ष समझौते की किसी कार्यवाही के विचाराधीन होने के दौरान में तथा ऐसी कार्यवाही की समाप्ति से तीस दिन के उपरान्त तक, यदि वह व्यक्ति उस झगड़े से संबंधित है जो उस कार्यवाही का विषय है ; अथवा

(ड़) किसी श्रम–न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के प्रारम्भ से लेकर उसकी समाप्ति तक के काल में, यदि वह मजदूर उस झगड़े से संबंधित है जो उस कार्यवाही का विषय है ; अथवा

(च) ऐसे काल में जब कोई समझौता या पंचनिर्णय लागू है तो उस समझौता अथवा पंचनिर्णय के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले पर, द्वारावरोध द्वारा काम पर आने से न रोकेगा ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 की धारा 8 द्वारा धारायें 6–ख से 6–द तक बढ़ायी गयी ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 23, 1957 की धारा 7 द्वारा धारायें 6–ध से 6–प तक बढ़ायी गयी ।

(3) इस धारा के अधीन हड़ताल या द्वारावरोध की नोटिस उस दशा में आवश्यक न होगी जब कि औद्योगिक संस्था में द्वारावरोध या हड़ताल, जैसी भी दशा हो, पहिले से चल रही हो, किन्तु मालिक ऐसे द्वारावरोध या हड़ताल की सूचना, इस संबंध में नियत प्राधिकारी को उस दिन दे देगा जिस दिन हड़ताल या द्वारा वरोध घोषित किया जाय ।

(4) इस धारा के अधीन दी गयी हड़ताल या द्वारावरोध की प्रत्येक नोटिस में एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट किया जायगा जिसके तीन दिन के भीतर यदि नोटिस के अनुसार हड़ताल या द्वारावरोध न किया जाय, तो नोटिस प्रभावी न रह जायगी और हड़ताल या द्वारावरोध के लिये एक नयी नोटिस फिर देनी होगी ।

(5) उपधारा (1) में उल्लिखित हड़ताल की नोटिस व्यक्तियों की ऐसी संख्या द्वारा ऐसे ढंग से ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को दी जायगी जो इस संबंध मे ंनियत किये जाये।

(6) उपधारा (2) में उल्लिखित द्वारावरोध की नोटिस ऐसी रीति से दी जायगी जो नियत की जाय ।

अविधिक हड़तालें तथा द्वारावरोध

6–न–(1) कोई भी हड़ताल या द्वारावरोध अविधिक होगा यदि वह धारा 6–ध का उल्लंघन करके आरम्भ या घोषित किया जाय अथवा उस दिनांक के बाद तक जारी रखा जाय जब कि उस हड़ताल या द्वारावरोध से, जैसी भी दशा हो, संबंधित औद्योगिक झगड़ें पर कोई बोर्ड विचार करना आरम्भ करे या वह किसी श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के पास निर्णय के निमित्त अभिदिष्ट किया जाय ।

(2) किसी औद्योगिक संस्था में किसी अविधिक द्वारावरोध के फलस्वरूप घोषित की गई हड़ताल या किसी अविधिक हड़ताल के फलस्वरूप घोषित किया गया द्वारावरोध अविधिक न समझा जायगा ।

अविधिक हड़तालों या द्वारावरोधो के लिये उभारने या उकसाने का निषेध

6–प– कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को किसी हड़ताल या द्वारावरोध में, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत हो या जो आरम्भ होने पर उसके विपरीत होगा, भाग लेने या उसके अग्रसारण के लिये अन्य प्रकार से कार्य करने में न सहायता देगा, न उभाड़ेगा और न उकसायेगा ।

धारा 6ब और 6भ का लागू होना

[1]**[6–फ**– (1) धारा 6–ब और 6–भ के उपबन्ध उस औद्योगिक संस्था पर लागू होंगे जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) में निर्दिष्ट उद्योग से भिन्न उद्योग से संबंध रखती हो किन्तु ऐसी संस्था न हो जो मौसमी प्रकार की हो या जिसमें केवल आन्तरायिक रूप से कार्य किया जाता हो और जिसमे पूर्ववर्ती बारह महीनों में औसतन प्रतिकार्य दिवस कम से कम तीन सौ मजदूर सेवायोजित रह हों ।

(2) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई औद्योगिक संस्था मौसमी प्रकार की है या क्या उसमें केवल आन्तरायिक रूप से कार्य किया जाता है, तो इस संबंध में राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

किसी उपक्रम को बन्द करने की प्रक्रिया

6–ब– (1) कोई मालिक जो किसी औद्योगिक संस्था के किसी उपक्रम (अन्डरटेकिंग) को बन्द करना चाहता हो, जिस दिनांक को बन्द करने का अभीष्ट कार्य प्रभावी होना है उसके कम से कम नब्बे दिन पहले राज्य सरकार को पूर्व अनुज्ञा प्राप्त

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1983 की धारा 3 द्वारा 6फ–भ तक बढ़ाया गया ।

करने के लिए विहित रीति से आवेदन–पत्र देगा जिसमें उपक्रम कार्य के लिए कारणों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जायेगा और साथ ही साथ ऐसे आवेदन–पत्र की एक प्रति मजदूरों के प्रतिनिधियों को भी विहित रीति से दी जायेगी ;

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों, बांधों के निर्माण के लिए या अन्य निर्माण कार्य के लिये स्थापित किसी उपक्रम पर लागू नही होगी ।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन–पत्र दिया गया हो, वहाँ राज्य सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, और मालिक, मजदूरों और इस प्रकार बन्द किये जाने में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् मालिक द्वारा कथित कारणों की यथार्थता और पर्याप्तता, सामान्य जनता के हितों और अन्य समस्त सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जायगा, ऐसी अनुज्ञा दे सकती है या देने से इंकार कर सकती है और ऐसे आदेश की एक प्रति मालिक और मजदूरों को भेजी जायेगी ।

(3) जहाँ उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन–पत्र दिया गया हो और राज्य सरकार उस दिनांक से जब ऐसा आवेदन–पत्र दिया जाय, साठ दिन की अवधि के भीतर मालिक को अनुज्ञा देने या देने से इंकार करने का आदेश संसूचित नही करती है, वहां साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा जिसके लिये आवेदन किया गया था, स्वीकृत समझी जायेगी ।

(4) अनुज्ञा देने या देने से इंकार करने का राज्य सरकार का कोई आदेश, उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा और समस्त पक्षों पर बाध्यकारी होगा और ऐसे आदेश के दिनाँक से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

(5) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या मालिक या किसी मजदूर द्वारा दिये गये आवेदन–पत्र पर, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इन्कार करने के अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकती है या मामले को न्याय निर्णयन के लिए किसी न्यायाध्किारण को निर्दिष्ट कर सकती है ;

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ इस उपधारा के अधीन कोई निदेश न्यायाधिकरण को किया गया हो, वहाँ वह ऐसे निर्देश के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर पंचनिर्णय देगा ।

(6) जहाँ उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन–पत्र उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न दिया जाय या जहाँ बन्द करने की अनुज्ञा को अस्वीकार कर दिया जाय, वहाँ उपक्रम को बन्द करना, बन्द करने के दिनांक से अवैध समझा जायेगा और मजदूर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी लाभ पाने के हकदार इस प्रकार होंगे मानो उपक्रम को बन्द नही किया गया था ।

(7) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि उपक्रम में दुर्घटना या मालिक की मृत्यु या इसी प्रकार की आपवादिक परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि उपधारा (1) के उपबन्ध ऐसी अवधि के बारे में लागू नहीं होंगे, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय।

(8) जहाँ किसी उपक्रम को उपधारा (2) के अधीन बन्द करने की अनुज्ञा दी जाय या जहां उपधारा (3) के अधीन बन्द करने के लिये अनुज्ञा दी गयी समझी जाय, वहां प्रत्येक मजदूर जो इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन–पत्र के दिनाँक के ठीक पूर्व उस उपक्रम में सेवायोजित हो, प्रतिकर पाने का हकदार होगा जो अनवरत सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के निमित्त या उसका कोई भाग जो छः मास से अधिक हो उसके निमित्त पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर होगा ।

कतिपय उपक्रमों को पुनः चालू करने के बारे में विशेष उपबन्ध

6–भ– (1) यदि किसी औद्योगिक संस्था के किसी उपक्रम के बारे में जिसे उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् बन्द किया गया है, राज्य सरकार की राय है कि ––

(क) ऐसे उपक्रम मालिक के नियंत्रण से परे किसी अपरिवर्जनीय परिस्थिति के कारण से अन्यथा बन्द किया गया है ;

(ख) उपक्रम के पुनः चालू किये जाने की सम्भावनायें है ;

(ग) ऐसे उपक्रम के बन्द किये जाने के पूर्व उसमें सेवायोजित मजदूरों के पुनर्वास के लिये या जनसमुदाय के जीवन के लिये आवश्यक प्रदाय और सेवायें बनाए रखने के लिये या दोनों के लिये उपक्रम को पुनः चालू करना आवश्यक है ;

(घ) उपक्रम को पुनः चालू करने के परिणामस्वरूप मालिक को उस उपक्रम के संबंध में कष्ट न होगा ;

तो वह ऐसे मालिक और मजदूरों को अवसर देने के पश्चात् अभिलिखित किये जाने कारणों से गजट मे ंप्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि उपक्रम ऐसे समय के भीतर (जो आदेश के दिनांक से एक मास के कम का न हो) जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, पुनः चालू किया जायेगा ।

(2) जहाँ कोई मालिक उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश से व्यथित हो वहां विहित रीति में वह न्याय–निणयन के लिये मामला न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट कर सकता है और न्यायाधिकरण ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो मामले की परिस्थितियों में उचित और युक्तिसंगत प्रतीत हो।][1]

अन्य विधानों के अधीन प्रचारित आदेशों को प्रचलित रखने का अधिकार

7–राज्य सरकार[3] को अधिकार होगा कि [2][वह इस अधिनियम के उपबन्धों] के अधीन प्राप्त अधिकारों को सामान्यतः बाधित न करते हुए, तीसरी धारा में निहित प्रयोजनों की सिद्धि के लिये आदेश देकर ––

(1) किसी ऐसे आदेश को ऐसे परिवर्तनों सहित जिन्हे वह आवश्यक समझे उन दशाओं मे और उस अवधि के लिये जिनका विवरण आदेश मे ंदिया गया हो, प्रचलित रक्खे जो किसी अन्य प्रचलित विधान के अधीन पहले दिया गया हो और जो किसी निर्णायक के सब निश्चयों या उनमें से किसी एक को या किसी संधि कराने वाले के अनुरोधों को या किसी प्रतिज्ञा या समझौते को जो किसी औद्योगिक विवाद के पक्षों या दलों मे संन्धि संबंधि व्यवहार या कार्यवाही के समय हुआ हो, लागू करता हो ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1983 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 की धारा 9 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. एडेप्टेशन आफ आल आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविशियल गवर्नमेंन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।

(2) किसी प्रतिज्ञा या समझौते को पूर्णरूप से या उसके किसी भाग को जो किसी औद्योगिक विवाद के पक्षों में सन्धि सम्बन्धी व्यवहार या कार्रवाई के समय हुआ हो, [1][निर्धारित ढंग से] निर्धारित अवधि के लिये लागू करे ।

सूचना प्राप्त करने का अधिकार

8–इस ऐक्ट मे ंदी हुई किसी दूसरे आदेश पर प्रभाव डाले बिना [2][राज्य सरकार] या किसी अफसर को जिसे उसने इस संबंध मे अधिकार दिया हो, अधिकार होगा कि वह––

(1) किसी व्यक्ति के लिए एक हुक्म द्वारा यह अनिवार्य कर दे कि वह किसी अधिकारी या व्यक्ति के सम्मुख ऐसी सूचना दे या ऐसी वस्तु उपस्थित करे जिसे वह जानता हो या जो उसके पास हो और जिसके बारे में उक्त हुक्म मे स्पष्ट कर दिया जाय और जो ऐसी सूचना या वस्तु हो जो [2][प्रान्तीय सरकार] या उक्त अधिकारी इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिये प्राप्त करना या उसकी जांच करना उचित और आवश्यक समझती हो या समझता हो ;

(2) किसी व्यक्ति को इस बारे में अधिकार दे कि वह किसी अहाते में जाय और उसकी तलाशी ले या ऐसी बहियों या दूसरे दस्तावेजों या वस्तुओं का निरीक्षण करे और उन्हें जब्त कर ले जो किसी व्यक्ति की सम्पत्ति हो या जो किसी व्यक्ति के अधिकार में हो और जिन्हें [2][राज्य सरकार] या उक्त हुक्म देने वाला अधिकारी ऐसे हुक्म को लागू करने के लिये आवश्यक समझे ।

झूठा बयान

9–यदि कोई व्यक्ति ––

(1) जिसे कोई बयान देने या कोई सूचना देने के लिये हुक्म किया गया हो कोई ऐसा बयान देता है या कोई ऐसी सूचना देता है जिसकी मुख्य–मुख्य बातों के झूठा होने का उसको ज्ञान है या उस के पास उन्हें झूठा समझने के उचित कारण हों ; या

(2) जो किसी ऐसे हिसाब, बयान, अनुमान, नक्शा या दूसरे दस्तावेज के सिलसिले में जो उसे हुक्म के अधीन अनिवार्य रूप से प्राप्त करना हो, कोई ऐसा बयान देता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, तो उसे ऐसे कारावास का दण्ड, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना का दण्ड या दोनो दण्ड दिये जा सकते है ।

बही इत्यादि तलब करने का अधिकार

10–जब किसी व्यक्ति को किसी अधिकारी के सम्मुख कोई बयान देने या कोई सूचना देने का हुक्म दिया जाय तो उक्त अधिकारी को अधिकार होगा कि एक हुक्म द्वारा ऐसे व्यक्ति के दिये हुए बयान या दी हुई सूचना की तसदीक करने के अभिप्राय से उक्त व्यक्ति से यह भी कहे कि वह उससे संबधित कोई ऐसे बही, हिसाबात या दूसरे दस्तावेज उपस्थित करे जो उसके पास हों या जो उसके अधिकार में हों ।

सूचना प्रकट करने के बारे में रोक

11–(1) किसी व्यक्ति के लिये जो इस ऐक्ट के द्वारा कोई सूचना प्राप्त करे यह बात मान्य होगी कि इस ऐक्ट के आदेशों के पालन अथवा उसके पालन करने के सिलसिले में जारी किये हुए किसी हुक्म के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति को उक्त सूचना न बताये केवल ऐसी आज्ञा से जो स्वयं [2][राज्य सरकार] दे या उसकी ओर से दी जाय ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसे ऐसे कारावास का दन्ड जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना का दण्ड या दोनो दण्ड दिये जा सकते है ।

अधिकारों का प्रतिनिधायन

[3]**[11–क**– (1) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके यह आदेश

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 की धारा 9 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. एडेप्टेशन आफ आल आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविशियल गवर्नमेंन्ट) के लिये प्रतिस्थापित
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1957 की धारा 10 द्वारा धारायें 11.क से 11.च तक बढ़ायी गयी ।

[1][दे सकती है कि इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन ऐसे विषयों के संबंध में तथा ऐसी शर्तो के यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जो आदेशों में निर्दिष्ट की जायं, उसके द्वारा प्रयोक्तव्य (exercisable) कोई भी अधिकार राज्य सरकार के अधीनस्थ उन अधिकारियों तथा प्राधिकारियों द्वारा भी प्रयोग में लाये जा सकेगे जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाये ।

कठिनाईयों के निवारण का अधिकार

11–ख–(1) यदि राज्य सरकार की राय में पंचनिर्णय अथवा निपटारे के किसी उपबन्ध के निर्वचन (interpretation) के संबंध में कोई कठिनाई अथवा सन्देह उत्पन्न हो तो वह इस प्रश्न को उस श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट करेगी जिसे वह उचित समझे ।

(2) श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण जिसे ऐसे प्रश्न सौपें जाये, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस प्रश्न का निर्णय करेगा और उसका निर्णय अन्तिम तथा समस्त पक्षों पर बन्धककारी होगा ।

ऐक्ट संख्या 20, 1946 स्थायी आदेशों का निर्वचन इत्यादि

11–ग–यदि इंडस्ट्रियल इम्प्लायमेंट (स्टैडिंग आर्डर्स) ऐक्ट, 1946 के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेश के लागू होने अथवा उसके निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे तो कोई भी मालिक अथवा मजदूर उस प्रश्न को, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसी कार्यवाहीयों के निस्तारण के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट श्रम न्यायालयों में से किसी एक को सौंप सकता है, तथा वह श्रम न्यायालय जिसे उक्त प्रश्न सौंपा जाय पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उक्त प्रश्न का निर्णय करेगा और ऐसा निर्णय अन्तिम तथा पक्षों पर बन्धककारी होगा ।

ऐक्ट संख्या 45, 1860 समझौता अधिकारियों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों का जनसेवक होना

11–घ– प्रत्येक समझौता अधिकारी तथा बोर्ड का प्रत्येक सदस्य तथा अध्यक्ष (Chairman) तथा श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण का प्रत्येक पीठासीन अधिकारी इंडियन पीनल कोड की धारा 21 के अर्थ में जनसेवक (public servant) समझा जायगा।

कुछ प्रयोजनो के निमित्त श्रम न्यायालय तथा न्यायाधिकरण का दीवानी न्यायालय समझा जाना

11–ङ– कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 की धारा 480 तथा 482 के प्रयोजनों के निमित्त प्रत्येक श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण दीवानी न्यायालय समझा जायगा ।

अवमान के संबंध में श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के अधिकार

11–च– (1) यदि कोई व्यक्ति ––

(क) जब उसे किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा कोई लेख्य प्रस्तुत करने अथवा देने के निमित्त आज्ञा दी जाय और वह उसके पालन के लिए विधिक रूप से बाध्य होते हुए भी जानबूझ कर ऐसा न करे, अथवा

(ख) जब उसे शपथ अथवा प्रतिज्ञान द्वारा सत्य बोलने के निमित्त अपने को बाध्य करने के लिए कोई श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण आदेश दे परन्तु वह वैसा करने से इन्कार करे, अथवा

(ग) किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष किसी भी विषय पर विधितः सत्य कहने के लिए बाध्य होने पर भी अपने से उस विषय पर ऐसे श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा पूछें गये प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार करे, अथवा

(घ) अपने द्वारा दिये गये किसी वक्तव्य पर, श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा करने पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करे, अथवा

(ङ) किसी भी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के प्रति उनके समक्ष होने वाली

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1957 की धारा 10 द्वारा जोड़ा गया।

न्यायिक कार्यवाही के किसी भी स्तर पर जानबूझकर अपमान करे अथवा कोई विघ्न डाले, तो वह यथास्थिति ऐसे श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के अपमान का दोषी समझा जायगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे अथवा कोई ऐसा लेख प्रकाशित करे जिससे किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण पर अनुचित प्रभाव पड़ सकता हो, अथवा जिससे ऐसे श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण अथवा उसके पीठासीन अधिकारी की बदनामी अथवा अपमान अथवा उसके प्राधिकार में हीनत्व होने की संभावना हो, अथवा जिससे किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के विधिक व्यवहार में बाधा पड़ने की संभावना हो, तो वह व्यक्ति यथास्थिति श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के अवमान का दोषी समझा जायगा ।

(3) श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को अपने प्रति किये गये अवमान के संबंध में वही क्षेत्राधिकार, शक्ति तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे तथा वह उसी प्रक्रिया एवं प्रथा के अनुसार उन्हें प्रयुक्त करेगा जो हाईकोर्ट को इस संबंध में प्राप्त है तथा जिनका हाईकोर्ट अपने संबंध में प्रयोग करता है।][1]

इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, 1947 के अधीन अधिकारों का जारी रखना ऐक्ट सं० 14, 1947

[2][**12**– जब तक कि इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी आज्ञा में इसके विपरीत स्पष्ट व्यवस्था न की गयी हो तब तक इस अधिनियम में कोई भी बात राज्य सरकार के किसी भी औद्योगिक झगड़ें को अथवा तत्संबंधी विषयों को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, 1947 के अधीन अभिदिष्ट करने के अधिकार पर अथवा उस ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार किसी आख्या अथवा निपटारे के संबंध में कार्यवाही करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगी ।

संदेहों का निवारण

12–क–सन्देहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम में कोई भी बात केन्द्रीय सरकार को तत्समय प्रचलित इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट, 1947 के अधीन नेशनल ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय न्यायाधिकरण) बनाने से अथवा ऐसे ट्रिब्यूनल को उस ऐक्ट के अधीन ऐसे किसी भी अधिकार के प्रयोग से, वंचित करने वाली न समझी जायगी।]

ऐक्ट सं० 10 सन् 1940 ई० सालसी ऐक्ट लागू न होगा

13–इस एक्ट के अधीन दिये गये किसी हुक्म के अधीन किसी कार्रवाई पर सालसी ऐक्ट, सन् 1940 ई० की कोई बात लागू न होगी ।

शास्ति

[3][**14**– जो कोई भी इस अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बने नियम या दिये हुए आदेश का उल्लंघन करेगा वह यदि ऐसे उल्लंघन के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत कोई अन्य दण्ड के लिये कहीं उपबन्ध नही किया गया है, कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, अथवा जुर्माना अथवा दोनो से दण्डनीय होगा।]

पंच–निर्णय के निबन्धन के उल्लंघन के लिये शास्ति

[4][**14–क**– कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे निपटारा या पंच–निर्णय के जो इस अधिनियम के अधीन उस पर आबद्धकर है, किसी निबन्धन का उल्लंघन करता है ऐसी अवधि के लिये जो छः मास तक हो सकती है कारावास से, या जुर्माना से, या दोनो से और यदि उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त जुर्माना से दण्डनीय होगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् उल्लंघन जारी रहे, दो सौ रूपये तक हो सकता है, और अपराध पर विचार करने वाला न्यायालय, यदि वह अपराधी पर जुर्माना

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 1, 1957 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उपर्युक्त की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 34, 1978 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया ।

करता है, यह निदेश दे सकता है कि उससे वसूल किया गया सम्पूर्ण जुर्माना या उसका कोई भाग प्रतिकर के रूप में उस व्यक्ति को दिया जायगा जिसे उसकी राय में ऐसे उल्लंघन से क्षति पहुंची हो ।]

[1][**14–ख–** (1) कोई मालिक जो धारा 3 या धारा 6–ब के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई उपक्रम बन्द करता है, कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना से या दोनो से दण्डनीय होगा ।

(2) कोई मालिक जो धारा 6–भ के अधीन दिये गये निदेश का उल्लंघन करता है कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना से या दोनो से दंडनीय होगा और यदि उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त जुर्माना से दण्डनीय होगा जो दोष सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जबकि उल्लंघन जारी रहे, दो हजार रूपये तक हो सकता है।]

अपराध जो हस्तक्षेप के योग्य समझा जायगा

15–ऐक्ट मजमूआ फौजदारी, सन् 1898 ई० के परिशिष्ट 2 में दी हुई किसी बात के होते हुए किसी पुलिस अफसर को अधिकार है कि वह बिना किसी वारंट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफतार करे जिसके संबंध में उचित रूप से सन्देह किया जाय कि उसने इस ऐक्ट के अधीन बनाये या दिये हुए किसी नियम या हुक्म का उल्लंघन किया है या यह कि वह ऐसा उल्लंघन कर रहा है या करने वाला है ।

अपराध की समात का अधिकार

16–(1) कोई अदालत इस ऐक्ट के अधीन किसी दण्डनीय अपराध को समात न करेगा सिवाय इसके कि उसको यह लिखित रिपोर्ट उन घटनाओं की, जिन पर ऐसे अपराध का किया जाना निर्धारित हो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अतिरिक्त किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पहले से स्वीकृति के साथ भेजी जाय ।

(2) कोई अदालत, जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट की अदालत से कम की हो, इस ऐक्ट के अधीन किसी दण्डनीय अपराध की समात न करेगी ।

ऐसे हुक्मों का प्रभाव जो दूसरे एक्टों के विरूद्ध हों

17–कोई नियम हुक्म जो इस ऐक्ट के अधीन बनाया या दिया गया हो या जिसके बारे में यह समझा जाय कि वह इस ऐक्ट के अधीन बनाया या दिया गया है, लागू होगा इस बात का विचार न रखते हुए कि उसके विरूद्ध कोई बात किसी दूसरे कानून में या ऐसी दस्तावेज में दी हुई है जो किसी दूसरे कानून के अधीन लागू हो ।

आदेश के विरूद्ध कार्य करना या उसके लिये प्रोत्साहित करना

18–किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो इस ऐक्ट के अधीन बनाये हुए किसी नियम या दिए हुए किसी हुक्म का या किसी ऐसे नियम या हुक्म का, जिसके बारे में यह समझा जाय कि वह इस ऐक्ट के अधीन बनाया या दिया गया है, उल्लंघन करेगा या किसी दूसरे व्यक्ति को उल्लंधन करने के लिये प्रोत्साहित करेगा, यह समझा जायगा कि उसने उक्त हुक्म का उल्लंघन किया है ।

नोटिस का प्रकाशित किया जाना, उनका लगाया जाना और उनका खराब किया जाना

19–(1) केवल इसके कि इस ऐक्ट के अधीन दिये हुए हुक्मों में किसी और प्रकार के आदेश ही प्रत्येक ऐसे अधिकारों, अफसर या व्यक्ति को जो इस ऐक्ट के पालन के लिये [2][पंच निर्णय (award) से भिन्न] कोई लिखित हुक्म दे मान्य होगा कि वह किसी ऐसे हुक्म की दशा में जो साधारण प्रकार का हो या जो लोंगो के एकवर्ग पर प्रभाव डालता हो, ऐसे हुक्म का एक नोटिस उस तरीके पर प्रकाशित करे जो ऐसे अधिकारी, अफसर या उक्त व्यक्ति की सम्मति में उन लोगों की सूचना के लिये सबसे अधिक उपयुक्त हो जिनका उक्त हुक्म से सम्बन्ध हो और किसी ऐसे हुक्म की दशा में जो किसी कारपोरेशन या फर्म पर प्रभाव डालता हो, उक्त हुक्म उस तरीके पर तामील करेगा या तामील

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 26, 1983 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 की धारा 13 द्वारा अन्तर्विष्ट ।

करायेगा, जो मजमुआ जाब्ता दीवानी, 1908 ई० के आर्डर 29, नियम 2 या आर्डर 30, नियम 3 में सम्मानों के तामील के लिये निर्धारित है, किसी ऐसे हुक्म की दशा में हो, व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति पर (जो कारपोरेशन या फर्म न हो) प्रभाव डालता हो, उक्त व्यक्ति पर उक्त हुक्म तामील करे या तामील कराये ––

ऐक्ट नं० 5, सन् 1908 ई०

(1) व्यक्तिगत रूप से आज्ञा उसको देना या उस तक पहुँचाना ; या

(2) डाक द्वारा ; या

(3) जब उस व्यक्ति का पता न लग सके तो उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरूष को आज्ञा की एक असली प्रतिलिपि देकर या उस प्रतिलिपि को ऐसे मकान और उसके अहाते के भीतर किसी प्रमुख स्थान पर चिपका कर जिसके संबंध में यह मालूम हो कि वहां वह व्यक्ति आखिरी बार रहा था, या उसने कोई कारोबार किया था या लाभ के लिए स्वय कोई कार्य किया था ।

(2) यदि कोई कानूनी कार्यवाहियों करते समय यह सवाल पैदा हो कि किसी व्यक्ति पुरूष को इस ऐक्ट के अनुसार दी हुई आज्ञा की सूचना नियमानुसार दे दी गई थी या नही, तो उपधारा (1) के आदेशों का पालन किया जाना इस बात का निर्णयात्मक सबूत होगा कि उसकी सूचना दे दी गई थी, परन्तु उपधारा (1) को पालन न किये जाने का ––

[1] किसी दूसरे उपाय से उसकी सूचना दिए जाने के सबूत पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा ; और

[2] उस आज्ञा के जायज होने पर कोई असर नही पड़ेगा।

(3) कोई पुलिस अफसर और कोई दूसरा व्यक्ति जिसे इस बारे में [1][राज्य सरकार] से अधिकार मिला हो, किसी ऐसे प्रयोजन के लिये, जिसका संबंध धारा 3 में दिए हुए प्रयोजनो से या इस ऐक्ट के कार्यान्वित किये जाने से है, किसी भी मकान या उसके अहाते में या गाड़ी या जहाज (वेसल) मे ंकोई नोटिस चिपका सकता है या प्रदर्शित कर सकता है और इस ऐक्ट द्वारा प्रदान किये हुए अधिकार को प्रयोग में लाने के प्रयोजन से किसी भी समय किसी मकान तथा उसके अहाते में या किसी गाड़ी या जहाज मे ंप्रवेश कर सकता है।

(4) कोई व्यक्ति, जिसे इस बारे में [1][राज्य सरकार] से अधिकार मिला हो, उपधारा (3) मे ंदिये हुये किसी प्रयोजन के लिये, मालिक या किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसका किसी मकान तथा उसके अहाते या गाड़ा या जहाज (वेसल) पर कब्जा या नियंत्रण हो, यह आज्ञा दे सकता है कि वह किसी नोटिस को किसी मकान तथा उसके अहाते या गाड़ी, जहाज (वेसल) पर या उसमें इस प्रकार प्रदर्शित करे जैसा कि आज्ञा में दिया हो ।

(5) यदि कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के किसी नोटिस को, जो इस ऐक्ट के अनुसार चिपकाया गया हो या प्रदर्शित किया हो, हटाये, बदले, बिगाड़े, मिटाये या उसमें किसी किस्म की गड़बड़ करे या उपधारा (4) के अधीन किसी आदेश का उल्लंघन करे, तो उसे कैद की सजा हो सकती है जो 6 महीने तक की हो सकती है या जुर्माने की सजा हो सकती है या दोनों सजाये हो सकती है ।

संयुक्त संस्था का अपराध

20–यदि यह व्यक्ति, जो किसी ऐसे नियम या आज्ञा का उल्लंघन करता है जो इस ऐक्ट के अधीन बनाया गया हो या दी गई हो या बनाया हुआ या दी हुई समझी गई हो, कोई कम्पनी या दूसरी नियुक्त संस्था हो, तो उसके प्रत्येक डाइरेक्टर, मैनेजर, सेकेटरी या दूसरा अफसर या एजेन्ट के बारे में यह समझा जायगा कि वह नियम या आज्ञा का इस

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंन्ट) के लिए प्रतिस्थापित ।

प्रकार उल्लंघन करने का अपराधी है सिवाय उस सूरत के जब वह यह साबित कर दे कि इस नियम या आज्ञा का उल्लंघन उसकी जानकारी में नही हुआ या यह कि उसका उल्लंघन न होने देने के लिये वह पूर्ण रूप से सतर्क था ।

अपवाद

21–(1) संयुक्त प्रान्त के औद्योगिक झगड़ों के आर्डिनेन्स, सन् 1947 ई० तथा संयुक्त प्रान्त के औद्योगिक झगड़ों (द्वितीय) के आर्डिनेन्स, सन् 1947 ई० के समाप्त हो जाने या वापिस ले लिये जाने पर संयुक्त प्रान्त के जनरल क्लाजेज ऐक्ट (General Clauses) सन् 1904 ई० की धारा 6 के आदेश इस प्रकार लागू होंगे मानो ये आर्डिनेन्स [1][उत्तर प्रदेश] के किसी एक ऐक्ट द्वारा मंसूख कर दिये गये हों, और कोई आज्ञा या नियुक्ति जो उक्त अर्डिनेसों के अधीन दी गई हो या की गई हो या दी गई या की गई समझी गई हो और जो इस ऐक्ट के आरम्भ होने के फौरन पहले लागू हो, लागू रहेगी और उस आज्ञा या नियुक्ति के बारे में यह समझा जायगा कि वह इस ऐक्ट के अधीन दी गई या की गई ।

(2) किसी ऐसी आज्ञा पर, जो इस ऐक्ट या उक्त आर्डिनेन्स के अधीन या द्वारा प्रदान किये हुए किसी अधिकार को काम में लाकर दी गई हो, किसी भी अदालत में आपत्ति न की जा सकेगी ।

(3) जब किसी आज्ञा के संबंध मे यह समझा जाय कि उसे किसी अधिकारी ने इस ऐक्ट या उक्त आर्डिनेन्स के अधीन या द्वारा प्रदान किये हुए किसी अधिकार को काम में लाकर दिया या उस पर हस्ताक्षर किये, तो अदालत, भारत के शहादत के ऐक्ट, सन् 1872 ई० के अर्थ में यह मान लेगी कि यह आज्ञा उस अधिकारी द्वारा दी गई थी । **ऐक्ट सन् 1872 ई०**

बचाव

22–(1) किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई नालिश, मुकद्दमा या दूसरी कानूनी कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिये नही की जायगी, जो इस ऐक्ट या किसी ऐसे नियम या आज्ञा, जो इस ऐक्ट के अधीन बनाया गया हो या दी गई हो या बनाया हुआ समझा गया हो या दी हुई समझी गई हो, के अनुसार नेकनियती से की गई हो या जिसे नेकनियती से करने का इरादा रहा हो ।

(2) [2][सरकार] के विरूद्ध कोई नालिश या कानूनी कार्यवाही किसी ऐसी हानि के लिये नही की जायगी जो किसी ऐसी बात से हो जाय या जिसके किसी ऐसी बात से होने की संभावना हो, जो ऐक्ट या किसी ऐसे नियम या आज्ञा के, जो इस ऐक्ट के अधीन बनाया गया हो या दी गई हो या बनाया हुआ समझा गया हो या दी हुई समझी गई हो, अनुसार नेकनियति से की गई हो या जिसे नेकनियतों से करने का इरादा हो ।

नियम बनाने का अधिकार

23–(1) [3][राज्य सरकार] इस ऐक्ट के आदेशों को लागू करने के लिये इस ऐक्ट के अनुसार नियम बना सकती है ।

(2) पूर्वोक्त अधिकारी की सामान्यता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है : ––

(क) श्रम न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की रीति तथा उनकी नियुक्ति की शर्ते ;

(ख) श्रम न्यायालय तथा न्यायाधिकरण को अभिदेश करने की रीति ;

(ग) समझौता अधिकारियों को नियुक्ति की रीति तथा उनकी नियुक्ति की शर्ते ;

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिए प्रतिस्थापित ।
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (क्राउन) के लिए प्रतिस्थापित ।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंन्ट) के लिए प्रतिस्थापित ।

(घ) समझौता कार्यवाहियों में अनुसरणीय प्रक्रिया ;

(ड़) राज्य सरकार द्वारा निर्णायक प्राधिकारी को निर्णय भेजने की रीति ;

(च) निपटारो को पंजीबद्ध करने की रीति ;

(छ) मजदूरों की उपस्थिति नामावलियां (muster rolls) रखने की रीति तथा उनका आकार (form) ;

(ज) वे विषय जो नियत किए जाने हों या किए जा सकें ।

(3) इस धारा के अधीन निर्मित समस्त नियम, उनके निर्मित होने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र, राज्य विधान मन्डल के समक्ष रखे जायेंगे ।][1]

[2][प्रथम अनुसूची

(धारा 4—क देखिए)

(श्रम न्यायालयों के अधिक्षेत्र के अन्तर्गत विषय)

1—स्थायी आदेश के अधीन मालिक द्वारा प्रचारित आज्ञा का औचित्य तथा उसकी वैधता ;

2—स्थायी आदेशों का लागू होना तथा उनका निर्वचन ;

3—मजदूरों की बरखास्तगी तथा उनका सेवा मुक्त किया जाना जिसके अन्तर्गत दोषपूर्ण ढंग से बरखास्त किए गए मजदूरों को फिर से उनके पद पर नियुक्त करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना भी है ;

4—किसी प्रचलित रियायत अथवा विशेषाधिकार का वापस लिया जाना ;

5—किसी भी हड़ताल अथवा द्वारावरोध की अवैधता अथवा अन्यथा (Illegality or otherwise) ; तथा

6—द्वितीय अनूसूची में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न समस्त विषय ।

द्वितीय अनुसूची

(धारा 4—ख देखिए)

(श्रम न्यायाधिकरणों के अधिक्षेत्र के अन्तर्गत विषय)

1—मजदूरी जिसके अन्तर्गत भुगतान की अवधि तथा ढंग है;

2—प्रतिकरात्मक तथा अन्य भत्ते ;

3—कार्य के घंटे तथा विश्राम के मध्यान्तरण (rest intervals) ;

4—मजदूरी सहित अवकाश तथा छुट्टियां ;

5—बोनस, लाभांश, भविष्य निधि तथा उपदान ;

6—स्थायी आदेशों की प्रणाली से भिन्न पारी का संचालन ;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 की धारा 14 द्वारा जोडी गयी ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 की धारा 15 द्वारा अनुसूची 1, 2 तथा 3 बढ़ायी गयी ।

7–वेतन–क्रम के अनुसार वर्गीकरण ;

8–अनुशासन के नियम ;

9–अभिनवीकरण (Rationalization) ;

10–मजदूरों को छटनी तथा संस्था का बन्द होना ; तथा

[1] **[10–क**–किसी औद्योगिक संस्था के उपबन्ध को बन्द करने से सम्बन्धित कोई मामला।]

11–अन्य कोई विषय जो विनिर्दिष्ट किए जाये ।

---

[2] [तृतीय अनुसूची]

(धारा 4–झ देखिए)

(सेवा की शर्तें जिनके परिवर्तन के लिए नोटिस दिया जाना चाहिए)

1–मजदूरी, जिसके अन्तर्गत भुगतान की अवधि तथा ढंग भी है ;

2–मालिक द्वारा भविष्य निधि, सेवा–निवृत्ति निधि (Pension fund) या तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन मजदूरों के लाभ के लिए प्रदत्त अथवा देय अंशदान;

3–प्रतिकारात्मक तथा अन्य भत्ते ;

4–कार्य तथा अवकाश (Rest interval) के घंटे ;

5–मजदूरी सहित अवकाश (Leave with wages) तथा छुट्टियां (Holidays);

6–स्थायी आदेशो से भिन्न प्रकार से पारियों के संचालन का प्रारम्भ, परिवर्तन तथा उसकी समाप्ति ;

7– वेतनक्रमों के अनुसार वर्गीकरण ;

8–किसी प्रचलित रियायत या विशेषाधिकार का वापस लिया जाना या किसी प्रथा में परिवर्तन करना ;

9–जहाँ तक कि स्थायी आदेश में व्यवस्था है उसे छोड़ कर अनुशासन के नए नियमों का पुरःस्थापन अथवा वर्तमान नियमों में परिवर्तन ;

10–अभिनवीकरण (Rationalilant), प्रतिमानीकरण (Standardization) अथवा स्थिर यंत्रों अथवा प्राविधिकता (Plant or technique) में सुधार जिससे मजदूरों की छटनी सम्भाव्य हो ;

11–किसी भी व्यवसाय अथवा प्रक्रिया अथवा विभाग अथवा पारी मे नियुक्त या नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में बढ़ती अथवा (आकस्मिकता से भिन्न), जो किन्हीं मजबूरियों के कारण न हो ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 26, 1983 की धारा 5 द्वारा जोड़ा गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1957 की धारा 15 द्वारा जोड़ा गया।